

लोक प्राधिकरण– आबकारी विभाग

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
उदयपुर



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	3	3
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	4	10
3	विनिश्चय में पालन की जाने वाली प्रक्रिया	11	11
4	कृत्यों के निवर्हन हेतु स्थापित मापदण्ड	12	19
5	कृत्यों के निवर्हन हेतु प्रयोग में लिये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	20	20
6	आबकारी विभाग (मुख्यालय) के नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	21	30
7	नीति निर्धारण तथा इसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों के परामर्श के लिये अपनाई गई व्यवस्था का विवरण	30	30
8	बोर्डों, परिषदों और अन्य निकायों का विवरण	30	30
9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मार्गदर्शिका	30	30
10	मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन	31	32
11	आबकारी विभाग में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक हुए व्यय का मदवार विवरण	33	33
12	सहायिकी कार्यक्रमों में निष्पादन की रीति	34	34
13	विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्रों, रियायतों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां	35	52
14	विभाग की इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना	53	53
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को सुविधा	53	54
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां	55	61
17	अन्य सूचना	62	63

i. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को विभक्त कर आबकारी विभाग को दिनांक 01.07.1964 से स्वतन्त्र रूप से अस्तित्व में लाया गया । तब से अब तक विभाग एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्यरत है तथा राज्य सरकार द्वारा अर्जित किये जाने वाले राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है।

मादक पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, एवं विक्रय की प्रक्रिया पर राज्य का नियन्त्रण है। आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य, मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियन्त्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ-साथ समुचित राजस्व अर्जित करना है।

राज्य की राजस्व आय में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य की सम्पूर्ण कर-राजस्व प्राप्तियों में आबकारी विभाग का योगदान लगभग 16 प्रतिशत होकर यह द्वितीय स्थान पर है ।

आबकारी विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवा कर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयम नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है :-

- मदिरा व्यवसाय की लाभदेयता एवं राज्य की राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यावहारिक नीति का निर्धारण ।
- अवैध पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण एवं मद्यसंयम (टेम्परेंस) की नीति प्रभावी रूप से लागू करना ।

विभाग की प्रशासनिक संरचना :-

विभागीय कार्यकलापो के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर सात अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :-

1. अजमेर जोन:- अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक।
2. जयपुर जोन:- अलवर, दौसा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झुन्झूनू एवं सीकर
3. भरतपुर जोन:- भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली।
4. जोधपुर जोन:- जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही
5. कोटा जोन:- बांरा, बून्दी, झालावाड़ एवं कोटा
6. बीकानेर जोन:- बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़
7. उदयपुर जोन:- चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ ।

ii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :-

क्र. सं.	पदनाम	शक्तियां/कर्तव्य
	आबकारी आयुक्त, (I.A.S.) राजस्थान, उदयपुर	<p>राजस्थान सेवा नियमों के नियम, 171 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम, 279 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आबकारी आयुक्त को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अंतर्गत बने नियम एवं राजस्थान स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, (NDPS Act) 1985 तथा उसके नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है।</p> <p>आयुक्त का मुख्य दायित्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आबकारी नीति का क्रियान्वयन करना है। मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण के साथ साथ राजस्व संग्रहण का मुख्य दायित्व भी आबकारी आयुक्त का है। विभागाध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं।</p>
	अतिरिक्त आयुक्त, निरोधक दल (I.P.S.) आबकारी विभाग, उदयपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. आबकारी निरोधात्मक कार्यवाहियों का प्रभावी संचालन। 2. आबकारी निरोधात्मक गतिविधियों का पर्यवेक्षण। 3. विशेष धारों का संचालन करना एवं अवैधानिक गतिविधियों के क्षेत्रों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना। 4. शराब दुखान्तिका की रोकथाम संबंधी समस्त कार्यवाही। 5. अवैध शराब बनाए जाने वाले कारखानों के विरुद्ध योजनाबद्ध कार्यवाही। 6. अवैध शराब की तस्करी एवं इसके वितरण के नेटवर्क में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही। 7. राज्य में आबकारी निरोधक दल, पुलिस द्वारा की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही एवं समन्वित अभियान की मोनेटरिंग संबंधी

		<p>कार्य।</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर शराब तस्करों एवं अवैध शराब निकालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही। 9. राज्य के सीमावर्ती जिलों से अवैध शराब की आवक को रोकने बाबत् प्रभावी कार्यवाही। 10. नकली होलोग्राम, लेबल, पी.पी. सील्स आदि के प्रयोग के विरुद्ध कार्यवाही। 11. राज्य में एवं राज्य से होकर गुजरने वाले विकृत प्रासव के परिवहन पर निगरानी। 12. टैंकरों से प्रासव को अवैधानिक रूप से ढाबों आदि पर उतारे जाने के विरुद्ध कार्यवाही। 13. राज्य के पड़ोसी राज्य की पुलिस से समन्वय स्थापित कर शराब तस्करी की प्रभावी रोकथाम। 14. राज्य के प्रवर्तन अधिकारियों की मासिक संभागीय बैठकों का आयोजन (अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन एवं जिला आबकारी भी सम्मिलित) 15. निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार किये जा रहे कार्यों की समीक्षा। 16. कमजोर निरोधात्मक कार्यवाही के कारण मदिरा के उठाव पर पड रहे प्रभाव की जिलेवार/थानेवार समीक्षा एवं सुधारात्मक उपाय। 17. निरोधक दल द्वारा दर्ज प्रकरणों में चल रहे अनुसंधान की प्रभावी समीक्षा/विशेषकर पुराने दर्ज प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही बाबत् समीक्षा। 18. निरोधात्मक कार्यवाही से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की समीक्षा। 19. आबकारी अभियोगों में विभाग एवं पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों, धावों में जप्त वाहनों/मदिरा आदि कार्यवाही की नियमित सूचना का संकलन। 20. उपायुक्त, निरोधक दल द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही संबंधी सांख्यिकी सूचना संकलन संबंधी कार्य की समीक्षा। 21. विभाग की मुखबिर प्रोत्साहन/सोर्स फण्ड योजना का प्रभावी क्रियान्वन। 22. निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन आवण्टन संबंधी कार्य। 23. निरोधक दल नियन्त्रण कक्ष का कार्य।
--	--	--

		<p>24. मालखानों का निस्तारण का सहयोग।</p> <p>25. निरोधक दल के उप निदेशक/आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी / सहायक निदेशक/प्रहाराधिकारी / जमादार / सिपाही/वाहन चालकों के आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण करना।</p> <p>26. निरोधक दल के कार्यालय को सोर्स फण्ड उपलब्ध कराया जाना।</p>
	अतिरिक्त आबकारी मुख्यालय। आयुक्त (नीति), मुख्यालय।	<ol style="list-style-type: none"> 1. आबकारी नीति संबंधी कार्य। 2. आबकारी अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन बाबत अपेक्षित कार्यवाही। 3. आबकारी बन्दोबस्त संबंधी कार्य। 4. मुख्यालय से जारी होने वाले अनुज्ञापत्रों यथा निर्माण इकाई अनुज्ञापत्र, रिटेल ऑन अनुज्ञापत्र इत्यादि को जारी करवाना। 5. आबकारी वस्तुओं के निर्माण एवं वितरण का नियन्त्रण। 6. आबकारी वस्तुओं का आयात-निर्यात व अन्य समस्त कार्य। 7. आबकारी बन्दोबस्त संबंधी शिकायतों का निस्ताण। 8. मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्य सरकार द्वारा चाही जाने वाली बन्दोबस्त एवं आबकारी नीति संबंधी सूचनाएं प्रेषित करना। 9. अन्य राज्यों की आबकारी नीति का तुलनात्मक विश्लेषण।

अतिरिक्त (प्रशासन)	आयुक्त	<ol style="list-style-type: none"> 1. संस्थापन अ (सम्पूर्ण राज्य में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापन, स्थानान्तरण, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि संस्थापन) संबंधित समस्त कार्य। 2. संस्थापन 'ब' (पेंशन, मकान किराया भत्ता, वाहन नकारा कार्यवाही, राज्य से बाहर की यात्रा स्वीकृति, कालातीत दावों की स्वीकृति आदि) 3. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं परिवाद। 4. सामान्य प्रशासन अनुभाग 5. सांख्यिकी, भण्डार अनुभाग। 6. कम्प्युटर शाखा की मोनिटरिंग। 7. सूचना के अधिकार संबंधी कार्य। 8. आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य। 9. विधान सभा समन्वयन संबंधी कार्य। 10. आबकारी, जोन उदयपुर संबंधी कार्य।
संयुक्त	आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. आबकारी निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित कार्य। 2. निरोधक दल कर्मिकों के पेंशन, मकान किराया भत्ता, वाहन नकारा कार्यवाही, राज्य से बाहर की यात्रा की स्वीकृति 3. निरोधक दल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं परिवाद। 4. भण्डार संबंधी कार्य।
वित्तीय	सलाहकार, उदयपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. डोडा पोस्त एवं भांग के बन्दोबस्त का कार्य। 2. राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की मोनिटरिंग। 3. बकाया राजस्व की वसूली संबंधी कार्य। 4. विभागीय बजट संबंधी कार्य। 5. अंकेक्षण संबंधी कार्य।
उप विधि परामर्शी		<ol style="list-style-type: none"> 1. विभिन्न न्यायालयों में दर्ज समस्त प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, जवाबदावों का अनुमोदन एवं प्रस्तुतीकरण, न्यायालय निर्णयों की पालना एवं लम्बित प्रकरणों की मोनिटरिंग। 2. विधिक बिन्दुओं पर राय देने का कार्य।

		<ol style="list-style-type: none"> 3. अधिनियम एवं नियमों में संशोधन के प्रारूप तैयार करने का कार्य। 4. अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का प्रारूपण। 5. मुख्यालय स्तर पर चलने वाले न्यायिक प्रकरणों यथा संयोज्य योग्य प्रकरण इत्यादि की पत्रावलियों का संधारण कर आयुक्त महोदय को प्रस्तुतीकरण। 6. आबकारी अभियोगों में जप्त भारी वाहनों की पत्रावलियों में आयुक्त महोदय को राय देना। 7. सर्विस रिट एवं वाद से संबंधित कार्य। 8. अभियोग शाखा का कार्य। 9. अन्य समस्त विधिक कार्य।
	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन	<p>आबकारी विभाग को प्रशासनिक दृष्टि से 7 सम्भागों (यथा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर जोन) में बांटा गया है। प्रत्येक संभाग का प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, संबंधित जोन होता है। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों तथा सहायक आबकारी अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आबकारी कार्यालयों एवं संबंधित संस्थाओं यथा आश्वनशाला, ब्रेवरीज, कूपीभरण (बोटलिंग प्लान्ट) संयंत्र, मदिरालय, फार्मैसी, मदिरा दुकानात आदि के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी होता है। इनके द्वारा आबकारी आयुक्त के द्वारा प्रत्यायोजित कार्य भी किये जाते हैं।</p>
	रसायनिक परीक्षक	<p>आबकारी विभाग में आबकारी अभियोगों में जब्त किये गये नशीले पदार्थों के नमूनों का रसायनिक परीक्षण कर रसायनिक जांच रिपोर्ट तैयार करना इनका मुख्य कर्तव्य है। यह पद उदयपुर मुख्यालय पर सृजित है।</p>
	उपायुक्त आबकारी निरोधक दल	<p>अतिरिक्त आयुक्त आबकारी निरोधक दल से संबंधी समस्त कार्यों में सहयोग करना एवं इस हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना कार्यालय कार्य का सम्पादन करना।</p>

	उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय, उदयपुर	<ol style="list-style-type: none"> 1. खजाना। 2. आवक जावक अनुभाग, प्रधान कार्यालय। 3. आर.एस.बी.सी.एल. एवं आर.एस.जी.एस. एम. से संबंधित सामान्य कार्य। 4. मुख्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रकरण। 5. विज्ञापन, रिकार्ड एवं लाईब्रेरी संबंधित कार्य। 6. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (प्रशासन) एवं अतिरिक्त आयुक्त (नीति) को आबकारी नीति संबंधी सहयोग एवं विधिक एवं कर्मचारी कल्याण कार्यों में सहयोग। 7. प्रयोगशाला का पूर्ण नियन्त्रण।
	जिला आबकारी अधिकारी	<p>जिला आबकारी अधिकारी संबंधित जिलों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। यह आबकारी अधिनियम, 1950 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इनके उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य कलाप शामिल है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिले में आबकारी बन्दोबस्त का सफल क्रियान्वयन, 2. आबकारी शुल्क एवं अन्य प्राधिकृत शुल्क का संग्रहण करना 3. आबकारी पदार्थों के विनियमन संबंधी कार्य 4. अपने जिले में आबकारी निरोधक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। 5. अन्य प्रशासनिक कार्य
	सहायक आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी के कर्तव्यों में उनकी सहायता करना इनका प्रमुख कर्तव्य होता है।
	आबकारी निरीक्षक	<p>आबकारी निरीक्षक राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी है तथा इनके निम्न कर्तव्य है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त से संबंधित समस्त सामान्य कार्य करते हैं। यथा दुकानों का पर्यवेक्षण के प्रभारी के रूप में तथा अपराधों को दर्ज करने, अनुसंधान करने, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने, प्रस्तुत प्रकरण के परिणाम

		<p>पर निगरानी रखने तथा राज्य सरकार के हितों की रक्षा करना।</p> <p>2. आबकारी निरीक्षक जिनका पदस्थापन आश्वन शालाओं (Distilleries) गोदाम, फार्मेसीज में है वे संबंधित निर्धारित नियमों के तहत अपने कार्यों की पालना करते हैं तथा दुकानों का निरीक्षण भी करते हैं।</p>
	मंत्रालयिक कर्मचारी	<p>मंत्रालयिक कर्मचारियों के अंतर्गत निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, आदि कर्मचारी सम्मिलित हैं। ये पत्रावलियों एवं संबंधित पंजिकाओं तथा विवरणिकाओं तथा समस्त प्रकार के निर्धारित प्रारूपों एवं शाखाओं के कार्य का संधारण करते हैं। मासिक मानचित्र आदि नियमित रूप से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करते हैं। अपने कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, अभिलेखों एवं पंजिकाओं का संधारण करते हैं।</p>

iii. विनिश्चय में पालन की जाने वाली प्रक्रिया :-

1. मुख्यालय में प्राप्त होने वाली डाक कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय के निर्देशन में खोली जाती है। तत्पश्चात् **विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के पास अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ लघुहस्ताक्षरार्थ** प्रस्तुत की जाती है।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के लघु हस्ताक्षरित डाक मुख्यालय के आवक शाखा द्वारा आवक पंजिकाओं में प्रविष्टि कर मुख्यालय के संबंधित अनुभागों में **डाक पंजिका के माध्यम से भिजवाई** जाती है।
3. संबंधित अनुभाग के **प्रभारी अधिकारी** द्वारा उक्त डाक प्राप्त की जाकर **अनुभाग के अधीनस्थ कार्मिकों** को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जाती है।
4. संबंधित लिपिक द्वारा उक्त प्राप्त पत्र को अपनी शाखा के आवक पंजिका में प्रविष्टि कर पत्र के विषय से संबंधित पत्रावली में इनका संधारण किया जाता है। पत्रावली संबंधित लिपिक द्वारा अपने अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उक्त पत्रावली को अपने संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं तथा संबंधित अधिकारी पत्र का नियमानुसार परीक्षण कर विभागाध्यक्ष को की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्रावली में सलाह अंकित करते हैं। प्रस्तावित कार्यवाही पर विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा पत्र पर तदनुसार कार्यवाही की जाती है।
5. मुख्यालय पर पदस्थापित अन्य अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के प्राप्त आदेशों की पालना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

iv. कृत्यों के निर्वाहन हेतु स्थापित मापदण्ड :-

आबकारी विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारीगण के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं जिनका विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की नियमावली, 1988 में उपलब्ध है जो नियम, 23 के रूप में निम्न प्रकार है :-

आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कार्य परिणाम निर्धारित किये हैं। वर्तमान में निम्न मानदण्ड प्रभावी है :-

1. अतिरिक्त आयुक्त :-

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	60
		2	रात	40
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में एक बार
		2	अधीनस्थ जिला कार्यालयों का	वर्ष में एक बार
		3	स्वतन्त्र सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	वर्ष में एक बार
		4	अधीनस्थ जिलों के आबकारी वृत्त कार्यालयों का	वर्ष में एक बार
		5	अधीनस्थ वेयर हाउस	वर्ष में चार बार
		6	स्टोर	वर्ष में एक बार
3	सांख्यिकी आंकड़ों का सारांश प्रस्तुतीकरण			वर्ष में एक बार
4	विभागीय नियमावली का प्रकाशन एवं निर्देशों आदि को उसमें समाहित करते हुए अप टू डेट रखना			नियमानुसार
5	सेवाभिलेखों का सत्यापन			वर्ष में एक बार
6	विभागीय जांचों का त्वरित निस्तारण			नियमानुसार
7	असेवा योग्य सामानों का निस्तारण			वर्ष में एक बार
8	राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णित प्रकरणों में समय पर अपील पेश करना			समयानुसार
9	रिकार्ड रूम के लिये अभिलेख भिजवाना एवं उसकी वीडिंग करवाना			नियमानुसार

2. वित्तीय सलाहकार

(लेखा संबंधी मामलों में)

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	निरीक्षण	1	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय का	वर्ष में दो बार
		2	आश्वनशाला (डिस्टलरी) का	वर्ष में एक बार
		3	देशी शराब गोदाम का	वर्ष में छः बार
		4	बंधित भण्डारगार का IMFL/LPH	वर्ष में चार बार
		5	फार्मसीज	वर्ष में दो बार
		6	स्वयं की शाखा का	वर्ष में एक बार
2	ऑडिट रिपोर्ट्स एवं पेशाओं का निस्तारण			पुराने 70 प्रतिशत
				नये 30 प्रतिशत
3	क्षय (वेस्टेज केसेज) मामलों का निस्तारण			30 प्रति त्रैमास
4	आबकारी दुकानों के खातों को अन्तिम रूप देना			प्रति वर्ष 30 मार्च
5	फिक्सेशन एवं पेंशन केसेज			निर्देशानुसार
6	बजट पूर्ण करना एवं बजटीय नियन्त्रण :-			
	1.	राजस्व बजट का प्रस्तुतीकरण		प्रति वर्ष 01 अक्टूम्बर

2. व्यय बजट का प्रस्तुतीकरण	प्रतिवर्ष 15 अक्टुम्बर
3. मुख्य लेखा परीक्षक के साथ आंकडो का मिलान एवं उनसे प्रमाण पत्र प्राप्ति :-	
क. अप्रैल से सितम्बर	प्रतिवर्ष नवम्बर का प्रथम सप्ताह
ख. अक्टुबर से दिसम्बर	प्रतिवर्ष फरवरी का प्रथम सप्ताह
ग. जनवरी से फरवरी	प्रतिवर्ष अप्रैल का प्रथम सप्ताह
घ. मार्च (मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा सूचित की गई दिनांक को)	
ड. वित्त विभाग को अन्तिम आधिक्य/बचत मानचित्र	प्रतिवर्ष जनवरी से पहले प्रस्तुतीकरण

3. उपायुक्त-आबकारी (मुख्यालय)

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	निरीक्षण	1	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय का (स्प्रिट, भांग एवं अफीम मामलों में)	वर्ष में तीन बार
		2	आश्वनशालाओं (डिस्टलरी)	वर्ष में एक बार
		3	देशी मदिरा शराब गोदाम	वर्ष में छः बार
		4	बंधित भण्डागार (सभी)	वर्ष में चार बार
		5	फार्मसीज	वर्ष में छः बार
		6	भारत निर्मित विदेशी मदिरा थोक दुकान	वर्ष में चार बार
		7	भारत निर्मित विदेशी मदिरा खुदरा दुकान	वर्ष में छः बार
		8	खाण्डसारी इकाईयां	वर्ष में छः बार
		9	विकृत प्रासव (डिनेचर्ड स्प्रिट) दुकानें	वर्ष में दस बार
		10	डोडा पोस्त दुकाने	वर्ष में दस बार
		11	देशी मदिरा दुकानें	वर्ष में दो बार
		12	होटल बार्स	वर्ष में दो बार
		13	कार्यालय शाखाओं का निरीक्षण	वर्ष में दो बार
2	अनुज्ञापत्रों का समय पर नवीनीकरण			नियमानुसार
3	प्रदाय (सप्लाई) के बारें में :-			
	1. देशी मदिरा			प्रतिमाह
	2. भांग			प्रतिमाह
	3. अफीम			प्रतिमाह
4	उन सभी विषयों पर विधिक नियमों का प्रारूपण जो अब तक नहीं बने			

4. उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल उदयपुर

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	80
		2	रात	60
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में एक बार
		2	अधीनस्थ आबकारी अधिकारी कार्यालयों का	वर्ष में एक बार
		3	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	वर्ष में एक बार
		4	अधीनस्थ प्रहराधिकारी कार्यालयों का	वर्ष में दस बार
3	हथियारों व गोला बारूद सहित भण्डार का भौतिक सत्यापन			वर्ष में एक बार
4	हथियारों एवं गोला बारूद का निरीक्षण			वर्ष में एक बार
5	बल की मोबिलिटी के उद्देश्य से वाहनों का सामान्य निरीक्षण			वर्ष में एक बार
6	आबकारी प्रकरण :-			

	1. आबकारी निरोधक दल स्टॉफ द्वारा (प्रहराधिकारियों) द्वारा प्रकरण खोजा जाना	मानदण्डानुसार 55
	2. वृत्त निरीक्षकों द्वारा	उनके लक्ष्यों के अनुरूप
7	उपायुक्त स्वयं के द्वारा आबकारी निरोधक दल का नेतृत्व कर विशेष आबकारी धावे	प्रतिमाह 3

5. आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी अधिकारी, आब0नि0दल

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	100
		2	रात	80
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में एक बार
		2	अधीनस्थ प्रहराधिकारी कार्यालयों का	वर्ष में दस बार
3	हथियारों व गोला बारूद सहित भण्डार का भौतिक सत्यापन			वर्ष में एक बार
4	हथियारों एवं गोला बारूद का निरीक्षण			वर्ष में एक बार
5	बल की मोबिलिटी के उद्देश्य से वाहनों का सामान्य निरीक्षण			वर्ष में एक बार
6	आबकारी प्रकरण :-			
	1. स्वयं की उपस्थिति में फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर सहित			प्रतिमाह 4 प्रकरण
	2. प्रत्येक प्रहराधिकारी से			उनके मासिक लक्ष्यानुसारूप
	3. प्रत्येक वृत्त निरीक्षक से			उनके मासिक लक्ष्यानुसारूप
7	आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी अधिकारी स्वयं के पर्यवेक्षण में विशेष आबकारी धावे			प्रतिमाह 4

6. जिला आबकारी अधिकारी:-

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	60
		2	रात	40
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में एक बार
		2	स्वतन्त्र सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	वर्ष में एक बार
		3	अधीनस्थ आबकारी वृत्त कार्यालयों का 50 प्रतिशत	वर्ष में एक बार
		4	डिस्टलरी व फार्मसी 50 प्रतिशत	वार्षिक
		5	वेयर हाउस	वार्षिक
		6	आबकारी दुकानें 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिये	वार्षिक
		7	खाण्डसारी इकाइयां 50 प्रतिशत	वार्षिक
3	आबकारी प्रकरणों को खोजना :-			
	1. स्वयं की उपस्थिति व हस्ताक्षर से फर्द जब्ती सहित			प्रतिमाह दो
	2. निरीक्षकों द्वारा			लक्ष्यानुरूप
4	आबकारी दुकानों की अनुज्ञाशुल्क तथा एकाकी विशेषाधिकार राशि का सरलीकरण			सम्पूर्ण
5	पुरानी बकाया से वसूली (आबकारी आयुक्त द्वारा तय किये गये)			लक्ष्यो के अनुरूप
6	अंकेक्षण पेरा/रिपोर्ट्स का निस्तारण :-			
	1. चालू वर्ष की			30 प्रतिशत
	2. पुरानी			70 प्रतिशत
7	निर्णित प्रकरणों में सम्पत्ति का निस्तारण			निर्णय के 6 माह में
8	राजसात की गयी अफीम (कोन्फिसकेटेड) का निस्तारण			प्रति 6 माह में
9	आबकारी दुकानों के सम्पूर्ण विशेषाधिकार लेखों का निर्णयन			31 मई प्रति वर्ष
10	आबकारी दुकानों का बन्दोबस्त			सभी दुकानें
11	विशेष आबकारी धारों में प्रत्येक जि. आब. अधि. का नैतृत्व			प्रतिमाह 2
12	आबकारी प्रकरणों का सफलतापूर्वक अभियोजन			कम से कम 70 प्रतिशत
13	सेवा पुस्तिकाओं एवं भण्डारों का सत्यापन			वार्षिक
14	विभागीय जांच			प्रतिमाह 3
15	पेंशन एवं वेतन नियतन प्रकरण			त्वरित निर्णय किया जाय
16	आवेदित सभी अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण			प्रति वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व
17	मदिरा, भांग, डोडा पोस्त आदि की दुकानों के स्थल का निर्णय			प्रति वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व
18	क्षय पर कठोर नियन्त्रण			
19	राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णित प्रकरणों में समय पर अपील पेश करना।			
20	अपने क्षेत्राधिकार की आश्वनशालाओं के मदिरालयों से नमूने लेना			प्रति माह एक

7. प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	15 प्रतिमाह
		2	रात	15 प्रतिमाह
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में एक बार
		2	अधीनस्थ पार्टी कार्यालय का	वर्ष में दस बार
3	हथियारों व गोला बारूद सहित भण्डार का भौतिक सत्यापन			वर्ष में एक बार
4	हथियारों एवं गोला बारूद का निरीक्षण			वर्ष में एक बार
5	बल की मोबिलिटी के उद्देश्य से वाहनों का सामान्य निरीक्षण			वर्ष में एक बार
6	आबकारी प्रकरण :-			
	1. स्वयं द्वारा			प्रतिमाह 4 प्रकरण
	2. अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक आबकारी वृत्त में निरीक्षकों के मासिक लक्ष्यों के अनुसार			

8. जमादार, आब0नि0दल द्वारा प्राप्ति योग्य मानदण्ड:-

क्र. सं.	विवरण	मानदण्ड
1	बेरेक सफाई	प्रतिदिन
2	हथियारों एवं गोला बारूद का निरीक्षण	साप्ताहिक
3	बल में अनुशासन बनाये रखना	
4	किट निरीक्षण	मासिक
5	प्रत्येक सिपाही से सूचना प्राप्त करना	4 प्रतिमाह
6	आबकारी निरोधक दल के धावों में नेतृत्व करना व साथ रहना	

9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय) के मानदण्ड

क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	अंकेक्षण पेरा व रिपोर्ट्स का निस्तारण	पुराने 70 प्रतिशत
		नये 30 प्रतिशत
2	क्षय (वेस्टेज केसेज) मामलों का निस्तारण	30 प्रति प्रति त्रैमास
3	पेंशन व वेतन नियतन	निर्देशानुसार
4	तिरोहित दावे (बोर्ड क्लेम)	निर्देशानुसार
5	मुख्य लेखाधिकारी के निरीक्षण रिपोर्ट्स का निस्तारण	60 प्रतिशत पुरानी
6	बजट पेश करना :-	
	1. राजस्व बजट का प्रस्तुतीकरण	प्रति वर्ष 01 अक्टुम्बर
	2. व्यय बजट का प्रस्तुतीकरण	प्रतिवर्ष 15 अक्टुम्बर
	3. आंकडों का मिलान :-	
	क. अप्रैल से सितम्बर	प्रतिवर्ष नवम्बर का प्रथम सप्ताह
	ख. अक्टुबर से दिसम्बर	प्रतिवर्ष फरवरी का प्रथम सप्ताह
	ग. जनवरी से फरवरी	प्रतिवर्ष अप्रैल का प्रथम सप्ताह
	घ. मार्च (मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा सूचित की गई दिनांक को)	
	ड. वित्त विभाग को अन्तिम आधिक्य/बचत मानचित्र	प्रतिवर्ष जनवरी से पहले प्रस्तुतीकरण

10. सहायक आबकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय, जिला आ0अधि0 मु0 सहित

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	60
		2	रात	45
2	निरीक्षण	1	स्वयं के कार्यालय का	वर्ष में दो बार
		2	अधीनस्थ आबकारी वृत्त कार्यालयों का 50 प्रतिशत, जिनका जि. आब. अधि. द्वारा नहीं किया गया हो	वर्ष में एक बार
		3	फार्मसी 50 प्रतिशत	वार्षिक
		4	वेयर हाउस	वार्षिक
		5	आबकारी दुकानें 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिये	वार्षिक
		6	अफीम व्यसनियों की चेकिंग	25 प्रतिशत
		7	मदिरा की वास्तविक स्ट्रेन्थ जानने के लिये मदिरालयों एवं डिस्टलरी संयंत्रों की अचानक नमूना जांच	प्रतिमाह एक बार
		8	खाण्डसारी इकाइयों का निरीक्षण यदि जि. आब. अधि. द्वारा नहीं किया गया हो	वार्षिक
3	आबकारी दुकानों का बन्दोबस्त		सम्पूर्ण	
4	अनुज्ञाशुल्क एवं विशेषाधिकार राशि का सरलीकरण		सम्पूर्ण	
5	अंकक्षण पेरा/रिपोर्ट्स का निस्तारण :-			
	1. चालू वर्ष की		50 प्रतिशत	
	2. पुरानी		70 प्रतिशत	
6	मालखाना आर्टिकल्स का निस्तारण		वार्षिक	
7	आबकारी दुकानों के विशेष एकाधिकार लेखा का अंतिमीकरण		30 अप्रैल प्रतिवर्ष	
8	विशेष आबकारी धावों में भाग लेना		प्रतिमाह 3	
9	अभियोग कार्य (आबकारी निरीक्षक के)		लक्ष्य के अनुरूप	
10	सभी अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण		प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक	
11	आबकारी प्रकरणों का सफलतापूर्वक अभियोजन		कम से कम 70 प्रतिशत	

11. मदिरालयों, डिस्टलरी, शुगर मिलों पर पदस्थापित सहायक आबकारी अधिकारियों व निरीक्षकों के मानदण्ड :-

क्र. सं.	विवरण	मानदण्ड
1	डिस्टलरीज/मदिरालय के भण्डार की जांच	मासिक
2	डिस्टलरीज का निरीक्षण	त्रैमासिक
3	क्षय (वेस्टेज) केसेज की रिपोर्टिंग	सात दिवसों में
4	मोलासेस/एल्कोहल के भण्डारण की पुष्टिकरण स्थिति	प्रतिवर्ष सितम्बर माह में

12. आबकारी निरीक्षकों के लक्ष्य :-

क्र. सं.	विवरण	क्र. सं.	विवरण	निर्धारित संख्या
1	यात्राएं	1	दिन	15 प्रतिमाह
		2	रात	15 प्रतिमाह
2	निरीक्षण	1	वेयर हाउस यदि कोई हो तो	त्रैमास में एक बार
		2	फार्मसी	मासिक
		3	अफीम व्यसनी की चेकिंग	मासिक
3	आबकारी दुकानों का बन्दोबस्त			सम्पूर्ण
4	अनुज्ञाशुल्क एवं विशेषाधिकार राशि का सरलीकरण			सम्पूर्ण
5	पुरानी बकाया की वसूली			लक्ष्य अनुरूप
6	5 माह में नीर्णित प्रकारणों की सम्पत्ति का निस्तारण			सभी
7	मदिरा दुकानों की गारन्टी राशि को नीर्णित करना			प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक
8	अभियोग कार्य (बीकानेर शहर व ग्रामीण एवं जैसलमेर के अलावा)			प्रतिमाह 6
9	खण्डसारी मोलासेस के भण्डार का सत्यापन			सारी इकाईयों का सितम्बर माह में

13. जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन)

क्र. सं.	विवरण	मानदण्ड
1	निरीक्षण स्वयं के कार्यालय का	प्रतिवर्ष 2 बार
2	राज्य के खिलाफ नीर्णित प्रकरणों में समय पर अपील पेश करना	

14. कार्यालय अधीक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्य का मानदण्ड

क्र. सं.	विवरण	मानदण्ड
1	हर लिपिक के कार्य का निरीक्षण	त्रैमासिक
2	अभिलेखों का प्रेषण एवं नष्टीकरण	नियमित
3	सेवा पुस्तकों का सामयिक सत्यापन	प्रतिवर्ष
4	सांख्यिकी आंकड़ों का सामयिक प्रकाशन	प्रतिवर्ष
5	आबकारी नियमों का प्रकाशन	प्रतिवर्ष
6	असेवायोग्य आर्टिकल्स का निस्तारण	प्रतिवर्ष
7	विभागीय जांच	समय तालिकानुसार

15. सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कार्य के लिए मानदण्ड

क्र. सं.	विवरण	मानदण्ड
1	विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन की तैयारी	वार्षिक
2	विभाग के सांख्यिकी आंकड़ों की तैयारी	मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक
3	शासन को विभाग की मासिक सूचना उपलब्ध करवाना।	मासिक
4	शासन/आयोजना/अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर चाही जाने वाली एव अन्य सूचनाएं तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना।	मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक

16. कार्यालय सहायक/यूडीसी जो मुख्यालय, जिलों में और वृत्त निरीक्षकों के कार्यालयों में पदस्थापित है और शाखा प्रभारी है उनके कार्य के लिए मानदण्ड:—

ए ओ एण्ड एम असेसमेण्ट के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 10 पत्रों को डील करना एवं निस्तारण करना

v. कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग में लिये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

आबकारी विभाग से संबंधित अधिनियम, नियम आदि जो वर्तमान में प्रचलन में हैं, का विवरण

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
2. राजस्थान आबकारी नियम, 1956
3. राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार/लाईसेंस प्रदाय) नियम, 1973
4. राजस्थान आबकारी (देशी मदिरा दुकान स्थानीय निकाय द्वारा बन्द करना) नियम, 1975
5. राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार और खुदरा बहिपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982
6. राजस्थान शीरा नियम, 1985
7. मदिरा के (आसवनियों ओर भण्डागारों में) स्टॉक संग्रहण और अपचय संबंधी नियम, 1959
8. भण्डार में हैम्प औषधियों के परिचलन, संग्रह मं अपचय को नियंत्रित करने वाले नियम, 1959
9. राजस्थान नीरा (ताड का अकिण्वित रस) नियम, 1960
10. राजस्थान आनुष्ठानिक मदिरा नियम, 1970
11. राजस्थान ब्रूअरीज नियम, 1972
12. राजस्थान आश्वनी नियम, 1977
13. राजस्थान कन्ट्री लिकर (फिक्सेशन ऑफ स्ट्रैन्थ) नियम, 1963
14. द राजस्थान इश्यू एण्ड सेल प्राइज ऑफ कन्टी लिकर रूल्स, 1964
15. द राजस्थान इश्यू एण्ड सेल प्राइज ऑफ भांग रूल्स, 1964
16. द राजस्थान फिक्सेशन ऑफ रिटेल प्राइज ओफ डिनेचर्ड स्पिरिट रूल्स, 1987
17. द राजस्थान लिकर प्रोहिबिशन रूल्स, 1967
18. द राजस्थान इन्टोक्सीकेशन स्पिरिच्यूस प्रिपरेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रान्सपोर्ट पजेशन एण्ड सैल नियम, 1989
19. द राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम, 1985
20. द नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1985
21. द प्रिवेन्सन ओफ इलीसिट ट्रेफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स एक्ट, 1988
22. राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापितियों के प्रदाय) नियम, 2004
23. औषधिय एवं प्रसाधन निर्मितियां (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 एवं नियम, 1956
24. राजस्थान आबकारी मेन्यूअल, 1988

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्र, आदेश निर्देश अनुदेश पत्र विज्ञप्ति, अधिसूचना, सूचना के अन्तर्गत कर्मचारीगण द्वारा अपने उत्तरदायित्व का वहन किया जाता है।

vi. आबकारी विभाग (मुख्यालय) के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण :-

क्र. सं.	नियन्त्रक अधिकारी	अनुभाग का नाम	उपलब्ध/संधारित दस्तावेजों का संक्षिप्त विवरण
1	अतिरिक्त आयुक्त (नीति), मुख्यालय	आबकारी	1. आबकारी नीति से संबंधित
			2. राज्य में अनुज्ञा प्राप्त डिस्टलरिज, ब्रुअरिज व बोटलिंग प्लाण्ट से संबंधित
			3. राज्य में देशी, भा.नि.वि.म. व बीयर के लेबल रजिस्ट्रेशन से संबंधित
			4. राज्य में होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने से संबंधित
			5. राज्य में एम.एण्ड टी. पी. अनुज्ञापत्र से संबंधित
		प्राप्ति अनुभाग	1. राज्य में अनुज्ञाप्राप्त इकाईयों को प्रासव के आवण्टन से संबंधित
			2. चिकित्सी अफीम क्रय करने एवं राजसात अफीम को जमा कराने से संबंधित
			3. राज्य में अनुज्ञाप्राप्त इकाईयों को मोलासिस आण्टन से संबंधित
			4. राज्य में अनुज्ञाप्राप्त इकाईयों को प्रासव पर देय क्षति से संबंधित
		बन्दोबस्त अनुभाग	देशी मदिरा/डोडा पोस्त से संबंधित एवं इनके लोकेशन की शिकायतों से संबंधित।
प्रासव अनुभाग	राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 (3), 68(4) व 68(10) के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में		
2	वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय	बकाया अनुभाग	आबकारी बकाया से संबंधित
		पी.ए.सी./ड्राफ्ट पैरा अनुभाग	जनलेखा समितियों के प्रतिवेदन, सी.ए.जी. प्रतिवेदन एवं ड्राफ्ट पैराज से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन
		बजट व आय अनुभाग	आबकारी बजट से संबंधित
		गारण्टी अनुभाग	मदिरा तथा भांग के बन्दोबस्त की पॉलिसी से संबंधित
		क्षति अनुभाग	आबकारी क्षति से संबंधित
		निरीक्षण अनुभाग	आन्तरिक जांच दल द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर की निरीक्षण से संबंधित
3	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय	भण्डार अनुभाग	प्रोत्साहन राशि के बजट से विभिन्न प्रकार का सामान क्रय करने से संबंधित
			राजकीय वाहनों के डीजल /रिपेयर से संबंधित
			विविध प्रकार के सामान क्रय करने से संबंधित
			अधीनस्थ कर्मचारियों की वर्दी से संबंधित

	कार्यालय के विविध खर्चों से संबंधित
	किराये के वाहनों से संबंधित
	राजकीय मुद्रणालय से स्टेशनरी क्रय से संबंधित
	फोटो स्टेट मशीनों के मासिक बिल रिडिंग के बिलों के भुगतान से संबंधित
	फेक्स मशीन / प्रिन्टर कार्टेज रिफिलिंग / रिपेयर से संबंधित
	बाजार से स्टेशनरी क्रय संबंधित
	विविध प्रकार के सामान क्रय करने से संबंधित
	आर. ओ. के वार्षिक रखरखाव से संबंधित
संस्थापन ब अनुभाग	राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति से संबंधित
	यात्रा कार्यक्रमों के अनुमोदन से संबंधित
	मुख्यालय के पेंशन प्रकरणों से संबंधित
	राजकीय वसूली से संबंधित
	भवन किराये की स्वीकृति से संबंधित
	अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृति से संबंधित
	मकान किराये से संबंधित
	राजकीय वाहनों के नकारा घोषित करने से संबंधित
	चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति से संबंधित
	भण्डार के भौतिक सत्यापन से संबंधित
	स्वीकृत सीमा से अधिक काल्स के बिलों के भुगतान से संबंधित

विभागीय जांच एवं परिवाद अनुभाग	विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 / 17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से संबंधित
	विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों से संबंधित
सतर्कता अनुभाग	मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित पत्रावलियों का संधारण।
सामान्य प्रशासन अनुभाग	अधीनस्थ कार्यालयों की सामान्य शाखा के लिये संविदा वाहन एवं संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर लेने की स्वीकृति से संबंधित
	भवन किराये पर लेने की प्रशासनिक स्वीकृति
	विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु मनोनयन से संबंधित
	उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित
	विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाने से संबंधित
	राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की मासिक सूचना
	विधानसभा सत्र / प्रश्नों एवं विभाग से संबंधित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित
	कार्यालय समय की पाबन्दी
संस्थापन अ (अवकाश) अनुभाग	अवकाश पंजिका का संधारण एवं ऑडिट आक्षेप का कार्य
	कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से संबंधित
	नियोजन कार्यालय से संबंधित
	उपस्थिति पंजिका संधारण
	अनुपस्थिति एवं आकस्मिक निरीक्षण से संबंधित
	राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारी / चार पहिया वाहनों को अधिहरण से मुक्ति के विकल्प स्वरूप शास्ति आरोपित किये जाने से संबंधित पत्रावलियों का संधारण।
संस्थापन अ अनुभाग	मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदस्थापन संबंधी
	सेवानिवृत्ति से संबंधित
	पेंशन सेवा संबंधित
	टंकण परीक्षा संबंधित
	आर.पी.एस.सी. परीक्षा संबंधित
	विकलांग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं आ.बी.सी. अभ्यर्थियों के नियोजन व आरक्षण संबंधी

		सम्मन, वारन्ट पेशी से संबंधित
		कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच संबंधी पत्रावली
		सफाई कर्मचारी संबंधी
		स्ट्रेन्थ एवं रिक्त पदों की सूचना से संबंधित
		अग्रिम अध्ययन संबंधित
		पासपोर्ट से संबंधित
		पदों के नवसृजन से संबंधित
		पदस्थापन से संबंधित
		परिपत्र संबंधी
	गोपनीय अनुभाग	विभागीय कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित
	सूचना का अधिकार अनुभाग	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन से संबंधित
	समंक अनुभाग	प्रशासनिक प्रतिवेदन से संबंधित
	समंक अनुभाग	राज्य की सांख्यिकी व्यवस्था से संबंधित
	समंक अनुभाग	शासन को विभाग की मासिक सूचना उपलब्ध करवाना।
	समंक अनुभाग	आबकारी नमूनों के विश्लेषण से संबंधित
	समंक अनुभाग	मदिरा उठाव, उपभोग, उत्पादन एवं अभियोग पंजीकरण के अन्तिम समंक से संबंधित
	समंक अनुभाग	शासन/आयोजना/अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर चाही जाने वाली अन्य सूचनाएं तैयार कर संबंधित को प्रेषित करना।
उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सर्विस रिट अनुभाग	विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दर्ज किये जाने वाले वाद से संबंधित
	वाद अनुभाग	राज्य की विभिन्न अदालतों में दायर होने वाले प्रकरणों से संबंधित
	रिट अनुभाग	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. से संबंधित
	रिट अनुभाग	माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर वाद से संबंधित
	रिट अनुभाग	माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर वाद से संबंधित
	रिट अनुभाग	नोटिस फॉर डिमाण्ड ऑफ जस्टिस के पत्रों के जवाबों से संबंधित

		अभियोग अनुभाग	राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 9ए के तहत प्रस्तुत अपीलों से संबंधित
			संयोज्य प्रकरणों से संबंधित
			न्यायालय कर बोर्ड, अजमेर में लम्बित अपीलों से संबंधित
		रेकॉर्ड अनुभाग	समाचार पत्रिकाओं के भुगतान से संबंधित कार्य
			पुस्तकें क्रय करने से संबंधित
			अधीनस्थ कार्यालयों को पुस्तकें भेजने से संबंधित
			महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित
			अभिलेखाकार में रेकॉर्ड किये गये अभिलेख के निपटारे से संबंधित
			पाक्षिक / दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के क्रय करने से संबंधित
			पुस्तकालय एवं रेकॉर्ड से संबंधित
			पुस्तकों की मांग पर्ची से संबंधित
		खजाना अनुभाग	वेतन बिलों से संबंधित
			यात्रा भत्तों व्यय बिलों से संबंधित
			चिकित्सा व्यय से संबंधित
			आयकर से संबंधित
			एफ.वी.सी. व्यय से संबंधित
			वेतन बिल पोस्टिंग रजिस्टर
			ऋण रजिस्टर
			धरोहर पेटे जमा राशि विवरण से संबंधित
			केश बूक रोकड बही का संधारण
5	उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल, मुख्यालय	अभियोग नि. दल अनुभाग	प्रथम सूचना प्रतिवेदनों के संकलन एवं संबंधित पंजिकाओं से संबंधित
			जब्त सामग्री की सूचना संकलित करने से संबंधित
			अवैध मदिरा से संबंधित प्राप्त शिकायतों से संबंधित
			आबकारी निराधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत सम्स्त बिन्दुओं से संबंधित
		संस्थापन नि. दल. अनुभाग	आबकारी निरोधक दल के अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवाभिलेखों, वार्षिक वेतन वृद्धियों, रिक्त पदों, पदस्थापन, अवकाश, नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण से संबंधित
			आबकारी निरोधक दल से संबंधित विधानसभा प्रश्नों से संबंधित

राजस्थान आबकारी विभाग में संधारित विभिन्न प्रकार की पंजिकाओं की सूची :-

(1) प्रधान कार्यालय के स्तर पर	
क्र. सं०	नाम पंजिका
संस्थापन अनुभाग	
1.	संस्थापन पंजिका (जी०ए० 74)
2.	वेतन वृद्धि पंजिका
3.	रिक्त पदों बाबत पंजिका
4.	वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की पंजिका
5.	रोस्टर पंजिका
6.	उपस्थिति पंजिका
7.	अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन की पंजिका
8.	आकस्मिक अवकाश पंजिका
9.	मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति बाबत
10.	पेन्शन प्रकरण/पेन्शन निस्तारण बाबत
11.	सेवाभिलेख बाबत पंजिका
12.	वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने बाबत पंजिका
13.	कर्मचारियों के मूवमेन्ट बाबत पंजिका
14.	पत्रावली मूवमेन्ट पंजिका
15.	चयनित वेतनमान बाबत पंजिका
16.	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अवशेष बाबत पंजिका
17.	पत्रावली रजिस्टर
18.	अधिशेष कार्मिकों के आमेलन बाबत पंजिका
19.	आवक/जावक पंजिका

आबकारी / बन्दोबस्त अनुभाग	
20.	भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर थोक अनुज्ञापत्र पंजिका
21.	होटल बार / क्लब बार अनुज्ञापत्र पंजिका
22.	रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र पंजिका
23.	फार्मसी अनुज्ञापत्र पंजिका
24.	डिस्टलरी / ब्रेवरीज / बोटलिंग प्लान्ट अनुज्ञापत्र पंजिका
25.	बंधित भंडागार अनुज्ञापत्रों की पंजिका नियम 47(1) के अन्तर्गत
विभागीय जांच एवं परिवाद अनुभाग	
26.	नियम-16 की जांच की जांच बाबत पंजिका
27.	दिये गये दण्ड बाबत पंजिका
28.	नियम-17 की जांच जो आबकारी आयुक्त महोदय एवं अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) तथा अतिरिक्त आयुक्त जोन के स्तर पर की जाती है, की पंजिका
29.	शिकायत पंजिका
30.	अपीले जो राज्य सरकार के स्तर पर / विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, की पंजिका
31.	निलम्बित कर्मचारियों की पंजिका
32.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सम्बन्धित प्रकरणों बाबत ।
33.	राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही / दण्ड बाबत पंजिका
34.	आवक / जावक पंजिका
35.	पत्रावली पंजिका
36.	पत्रावली मूवमेन्ट पंजिका
37.	अतिरिक्त आयुक्त जोन के स्तर पर दिये गये दण्ड बाबत पंजिका
खजाना अनुभाग	
38.	बिल पंजिका (जी. ए. 59)
39.	देयक पारगमन पंजिका (जी.ए. 59ए)
40.	रजिस्टर (जी.ए. 173)
41.	रोकड बही (जी.ए. 48)
42.	ड्राफ्ट आदि के प्राप्ति एवं व्यवस्थापन पंजिका (जी.ए.51)
43.	बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पंजिका (जी.ए. 103)
44.	चालान पंजिका (जी.ए. 57)
45.	सर्विस पोस्टेज पंजिका (जी.ए.114)
46.	मासिक व्यय पंजिका
47.	अमानत राशि जमा की पंजिका
48.	वेतन एवं भत्तों का विवरण पंजिका राजपत्रित(जी. ए. 73)
49.	वेतन एवं भत्तों का विवरण पंजिका अराजपत्रित(जी. ए. 74)
50.	बजट व्यय पंजिका
51.	ऋण एवं अग्रिम पंजिका
52.	विस्तृत व्यय(ए.सी./डी.सी. बिल) पंजिका (जी.ए. 105)
53.	चिकित्सा व्यय पंजिका
54.	यात्रा व्यय पंजिका
55.	जावक पंजिका
स्टोर अनुभाग	
56.	स्थायी सामान (डेड स्टॉक) पंजिका (जी.ए. 162)
57.	अस्थायी सामान स्टॉक पंजिका

58.	लेखन एवं मुद्रण सामग्री पंजिका
59.	भण्डार वितरण वाउचर
60.	भण्डार प्राप्ति वाउचर
61.	वाहन पंजिका
62.	असेवा योग्य सामान पंजिका
63.	ट्रेफिक शीट पंजिका
64.	लॉग बुक पंजिका
65.	वाहन संधारण (ऑयल/डिजल/पेट्रोल) पंजिका
66.	वाहन संधारण (मरम्मत) पंजिका
सर्विस रिट अनुभाग	
67.	अभियोग बाबत अपीलों से सम्बन्धित पंजिका
68.	राजस्व मण्डल में अपीलों से सम्बन्धित पंजिका
69.	दीवानी वाद बाबत पंजिका
70.	एस.बी.सिविल / डी.बी रिट बाबत पंजिका
71.	सभी प्रकार की सर्विस रिट बाबत पंजिका
लेखा अनुभाग	
72.	जनरल बजट बाबत पंजिका (बजट अनुभाग)
73.	महालेखाकार/आन्तरिक जांच दल से सम्बन्धित निरीक्षण पंजिका (निरीक्षण अनुभाग)
74.	ड्राफ्ट पैराज बाबत पंजिका (निरीक्षण अनुभाग)
75.	बकाया सम्बन्धित पंजिका (बकाया अनुभाग)
76.	आबकारी प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों के निस्तारण बाबत पंजिका (समंक/प्रयोगशाला)
77.	पुस्तकालय पंजिका (रेकॉर्ड अनुभाग)
78.	जनरल आवक जावक पंजिका (समस्त अनुभाग)
79.	राज्य सरकार/विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की आवक पंजिका (समस्त अनुभाग)
80.	सर्विस पोस्टेज स्टाम्प स्टॉक पंजिका एवं व्यय पंजिका (जावक अनुभाग)
81.	अधिकारियों के निरीक्षण बाबत पंजिका (निजी सहायक)
82.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के परिचय पत्र बाबत पंजिका (सामान्य)
83.	टेलिफोन पंजिका (पी.बी.एक्स.अनुभाग)
84.	राज्य में प्राप्त राजस्व एवं व्यय से सम्बन्धित पंजिका (बजट अनुभाग)

(2) जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में संधारित पंजिकाएं	
85.	एंकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का प्रपत्र –क
86.	देशी/भा0 नि0 विदेशी मदिरा धरोहर राशि पंजिका
87.	आबकारी बन्दोबस्त पंजिका(अनुज्ञाधारियों के नाम पते इत्यादि)
88.	देशी मदिरा प्रपत्र-ख मानचित्र(मदिरा के उठाव बाबत)
89.	मांग व वसूली पंजिका(भाग व डोडा पोस्त)
90.	मांग व वसूली पंजिका(बकाया)
91.	भाग व डोडा पोस्त निलामी/टेन्डर पंजिका
92.	परमिट रजिस्टर
93.	बार अनुज्ञापत्र रजिस्टर
वृत्त कार्यालयों में संधारित पंजिकाएं	
94.	अभियोग पंजिका
95.	मालखाना पंजिका
96.	बकाया वसूली पंजिका(भू राजस्व अधिनियम के तहत)
97.	विलेज हिस्टरी रजिस्टर
98.	ओफेन्डरस पंजिका
99.	सजायाब पंजिका
100.	इल्लतबा पंजिका
101.	मुखबीर सूचना पंजिका
102.	हथियार पंजिका
103.	मुलजिम पंजिका
104.	मुलजिम डाईट पंजिका
(3) निरोधक दल पार्टियों में संधारित पंजिकाओं का विवरण	
105.	उपस्थिति पंजिका
106.	वाहन/पेट्रोल/डीजल/आईल पंजिका
107.	वाहन के नकारा सामान की पंजिका
108.	आकस्मिक अवकाश पंजिका
109.	अभियोग पंजिका
110.	स्टाम्प जमा/खर्च पंजिका
111.	अस्त्र-शस्त्र पंजिका
112.	भोजनालय जमा/खर्च राशि पंजिका
113.	प्रशिक्षण पंजिका
114.	कर्मचारी मुवमेन्ट पंजिका
115.	मुलजिम पंजिका
116.	स्टॉक पंजिका
117.	आवक-जावक पंजिका
118.	वाहन मरम्मत पंजिका
119.	दैनिक ट्राफिक शीट
120.	कार्यालय निरीक्षण पंजिका
121.	मुखबीर सूचना पंजिका
122.	वर्दी पंजिका
123.	सजायाबी पंजिका
124.	वर्दी पंजिका

125.	भोजन(मेस) पंजिका
126.	मुलजिम डाईट पंजिका
127.	संतरी ड्यूटी पंजिका
128.	पत्रावली पंजिका

vii. नीति निर्धारण तथा इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए अपनायी गई व्यवस्था का विवरण।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित आबकारी नीति का क्रियान्वन आबकारी विभाग द्वारा किया जाता है, इस नीति निर्धारण हेतु जनता या जनप्रतिनिधियों के परामर्श हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है जिसके तहत प्रतिवर्ष आबकारी नीति को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधि मण्डलों से राज्य सरकार एवं आबकारी आयुक्त के स्तर पर बैठकों की जाकर उनका पक्ष समाहित किया जाता है ।

viii. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण :-

इस बिन्दु के सम्बन्ध में विभाग की सूचना शून्य है।

ix. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-

आबकारी विभाग के पदस्थापित अधिकारियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

x मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन

माह नवम्बर, 2022 के वेतन बिल के आधार पर				
S.No.	Name	Designation	Pay Matrix level	Gross Pay (Pay + DA + HRA + Other)
1	Shri Kumar Pal Gautam	Commissioner	L-13 C	185610
2	Shri Bal Mukund Asawa	Add. Comm. (Policy)	L-21	222558
3	Mrs. Manju Bala Jain	F.A.	L-23	263571
4	Shri Vriddhichand Garg	Add. Commissioner (Adm)	L-20	209769
5	Mrs. Shweta Fageria	Addl.Comm (Zone)	L-21	180228
6	Shri. Ganeshi Lal Jat	C.A.O.	L-19	157731
7	Mrs. Shweta Damor	System Analyst	L-18	128331
8	Shri K.K. Khandelwal	Analyst Cum Programmer	L-16	121569
9	Mrs. Preeti Verma	Acc. Officer	L-16	108045
10	Shri GauriKant Sharma	Asst. P.R.O.	L-14	95550
11	Dharmender Dandwani	JLR	L-20	134652
12	Pradeep Choudhary	DLR	L-18	114072
13	Shri Hemant Kumar Rawal	P.A	L-13	128919
14	Shri Bheru Lal Suthar	P.A	L-13	121422
15	Shri Harish Dashora	AAO. I	L-13	117894
16	Shri Pawan Kumar Lakhera	Steno	L-12	107604
17	Shri Kamal Singh Bisht	Steno	L-12	107604
18	Shri Shiv Prasad Gupta	Admn.O.	L-12	101430
19	Shri Narayan Singh Bisht	Programmer	L-12	95550
20	Shri Ahwini Kumar Shaktawat	Lab Asst.	L-12	90111
21	Mrs. Preeti Gupta	Programmer	L-12	77763
22	Shri Devendra Kumar Dashora	Deputy Commissioner	L-16	129066
23	Shri Jitendra Singh	Excise Inspector	L-10	54243
24	Smt. Veena Suwalka	A.A.O – I	L-12	68862
25	Shri Vikram Singh Parmar	Driver	L-10	74532
26	Shri Manish Sharma	ASO	L-11	70413
27	Shri Nirmal Kumar Jain	Asst. Admn. Officer	L-10	66591
28	Shri Pushpendra Nagar	Asst. Admn. Officer	L-10	66591
29	Mrs. Jhuley Bhandari	Asst. Admn. Officer	L-10	66591
30	Shri Naseer Khan	Asst. Admn. Officer	L-10	66591
31	Shri Ramesh Chandra Mochi	Asst. Admn. Officer	L-10	65930
32	Shri Raj Kumar Prajapat	Asst. Admn. Officer	L-10	61005
33	Mrs. Hemlata Joshi	Asst. Admn. Officer	L-10	60126
34	Shri Teja Ram	Asst. Admn. Officer	L-10	59241
35	Shri Girdhari Lal Prajapat	Assit. Programmer	L-10	57477
36	Mrs. Garima Bhadvia	Asst. Programmer	L-10	57477
37	Shri Lalit Chaubisa	Asst. Programmer	L-10	57477
38	Shri Rajesh Badariya	Asst. Programmer	L-10	57477
39	Shri Shailendra Chaturvedi	Asst. Admn. Officer	L-10	57270

40	Shri Rajendra Singh Jhala	Jr. Acc.	L-11	57183
41	Shri Manish Paliwal	Jr. Acc.	L-11	57183
42	Miss Divya Pathik	Junior Accountant	L-11	55338
43	Smt. Vimlesh Kumawat	Asst. Admn. Officer	L-10	61005
44	Shri Hemant Sharma	Senior Assistant	L-08	50232
45	Shri Deepak Agrawal	Junior Assistant	L-08	51891
46	Naveen Purbia	Senior Assistant	L-08	42189
47	Shri Roshan Lal Menaria	Senior Assistant	L-08	48951
48	Shri Surendra Meghwal	Senior Assistant	L-08	47481
49	Shri Manish Kumar Sharma	Senior Assistant	L-08	42189
50	Shri Jagdish Nagda	Junior Assistant	L-05	37485
51	Shri Ankur Dangi	Junior Assistant	L-05	33369
52	Shri Saddik kathat	Junior Assistant	L-05	31460
53	Shri Hemandra Singh Ranawat	Junior Assistant	L-05	33369
54	Shri Ashish Kumar Bairwa	Junior Assistant	L-05	31458
55	Shri Vinod kumar Beniwal	Junior Assistant	LP-05	14600
56	Shri Anil Maratha	Junior Assistant	LP-05	14600
57	Shri Ashish Kumar Sharma	Junior Assistant	LP-05	14600
58	Shri Sunil Yadav	Junior Assistant	LP-05	14600
59	Shri Arvind Singh Rathore	Junior Assistant	LP-05	14600
60	Shri Deepak Dewana	Junior Assistant	L-05	31458
61	Shri Manish Jangir	Junior Assistant	L-05	31458
62	Shri Amar Singh	Junior Assistant	LP-05	14600
63	Shri Hemant Kumar Upadhyay	Junior Assistant	LP-05	14600
64	Shri Ratnesh Kumar Sharma	Junior Assistant	LP-05	14600
65	Shri Anil Kulhari	Junior Assistant	LP-05	14600
66	Shri Pankaj Kumar	Junior Assistant	LP-05	14600
67	Shri Sachin Gupta	Junior Assistant	LP-05	14600
68	Shri Sarjeet Singh	Junior Assistant	LP-05	14600
69	Shri Kuldeep Singh Charan	Junior Assistant	LP-05	14600
70	Shri Dunga Ram	Jamadar	L-03	54834
71	Smt. Champa Devi	Class IV	L-03	51600
72	Shri Rameshwar Lal Rawat	Class IV	L-03	50130
73	Shri Kanhya lal Dhalovia	Excise Guard	L-03	50130
74	Smt. Amba Gameti	Class IV	L-03	48660
75	Shri Bhagwan Lal Dangi	Class IV	L-03	48660
76	Smt. Jeevi	Class IV	L-02	49101
77	Smt. Saraswati Devi Menaria	Class IV	L-02	36606
78	Shri Hitesh Meena	Class IV	L-02	36606
79	Shri Mohan Nath	Excise Guard	L-02	35577
80	Shri Dharmendra Dangi	Class IV	L-02	34548
81	Shri Mahir Khan	Excise Guard	L-02	28080
82	Shri Rakesh Mali	Class IV	L-01	30285
83	Shri Madan Singh Meena	Excise Guard	L-02	33519
84	Smt Surekha Sanwaria	Excise Guard	L-03	50130
85	Shri Hukami Chand Paliwal	Excise Guard	L-03	50130
86	Shri Pappu Gameti	Excise Guard	L-02	47631

XI. आबकारी विभाग में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक हुए व्यय का मदवार विवरण

(Amount in Lac Rs.)

Detailed Head	Actual Exp. 2017-18	Actual Exp. 2018-19	Actual Exp. 2019-20	Actual Exp. 2020-21	Actual Exp. 2021-22
2039-00-001-(01) HEAD OFFICE					
01-Pay	980.29	1208.83	1119.37	1148.44	1244.67
03-T. A.	11.12	12.99	13.73	11.92	8.68
04-Med.	7.72	3.99	6.45	3.54	2.26
05-O. Exp.	73.9	58.63	50.34	61.00	45.89
06-Pur. Of Veh.	104.98	-	-	-	-
07- V. M.	19.31	9.68	9.80	10.98	11.96
08- Professional & Spl.services.	-	0.33	-	-	-
09-R. R. T.	-	-	-	-	-
11-Advertisement	675.10	625.04	121.56	137.08	168.60
15-S. Serv.	0.20	0.20	-	-	-
21-Maintainance and repair	101.96	131.58	-	49.93	-
36-Hiring of Veh.	-	0.09	-	-	-
37-Liviries	0.63	0.65	0.49	0.48	0.43
41-Contract	-	-	-	-	-
42-Incentive & honorarium	305.31	-	10.44	23.07	-
62-Comp. & related Comm. Exp.	3.17	2.91	1.10	2.88	3.10
Total (01) Voted	2283.69	2054.92	1333.28	1449.32	1485.60
32-Decr. (Charged)	0.50	5.40	1.61	0.00	0.62
Total (01)Voted+Charged [EC & AEC Offices]	2284.19	2060.32	1334.89	1449.32	1486.22

XII सहायिकी कार्यक्रमों में निष्पादन की रीति :-

इस इस सम्बन्ध में विभाग एक नॉन प्लान के अन्तर्गत विभाग होने के नाते सूचना शून्य है।

XIII विभाग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 के अन्तर्गत विभिन्न अनुज्ञापत्र एवं उसकी लाईसेन्स फीस का विवरण:-

S. No.	Description/ Name of the fees	Rule/Order Which fees charged	Current Rate of fees	Last revision in the Date	
1	Licence for the possession and use of rectified spirit and absolute alcohol for the purpose of Research Laboratory	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (1)	1000/- (Ten Year)	04-01-1997	
2	Licence for the possession and use of rectified spirit and absolute alcohol for educational, medical & Scientific purposes in Educational Institutions, Hospitals and diagnostic Laboratories	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (2)	250/- (Ten Year)	04-01-1997	
3	Licence for possession and use of rectified spirit and absolute alcohol for industrial purposes	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (3)	30,000/- (one Year)	25/03/2018	
4	Licence for possession and use of rectified spirit and absolute alcohol for [testing laboratories] in commercial enterprises (provided consumption is limited to 250 ltrs. Per annum)	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (3 a)	3000/- (one Year)	04-01-2015	
5	Licence for possession and use of duty paid beer for industrial purposes	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (3aa)	15000/- (one Year)	10-01-2014	
6	Licence for the wholesale vend of rectified spirit and absolute alcohol in bond by persons who are not manufacturer.	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (4)	2000/- (one Year)	04-01-1997	
7	Licence for retail sale of rectified spirit by chemists and medical practitioners	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (5)	2500/- (Ten Year)	04-01-1997	
8	Application for grant of no objection certificate of :	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-A)			
	(a) distillery/ Brewery		1,50,000/- (One time levy)	04-01-2015	
	(b) Bottling plant		75000/- (One time levy)	04-01-2015	
	(C) Heritage Manufactory		25000/- (One time levy)	02-12-2016	

	(d) Winery		20000/- (One time levy)	15-11-2016	
9	Permission of construction of :	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-B)			
	(a) distillery/ Brewery		3,50,000/- (One time levy)	04-01-2015	
	(b) Bottling plant		1,75,000/- (One time levy)	04-01-2015	
	(C) Heritage Manufactory		1,00,000/- (One time levy)	02-12-2016	
	(d) Winery		25,000/- (One time levy)	15-11-2016	
10	License to work :				
	(a) Licence for working of distillery with permission to bottle IMFL having production Capacity in Kilo liter per day :-	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-C) (a) (b) & (c)			
	(i) Upto 30 Kilo Litre-		40,00,000/- (one Year)	04-01-2020	
	(ii) more than 30 and upto 50 Kilo litre		50,00,000/- (one Year)		
	(iii) more than 50 and upto 75 Kilo litre		60,00,000/- (one Year)		
	(iv) more than 75 Kilo litre		65,00,000/- (one Year)		
	(b) Licence to work for brewery having Production Capacity in kilo litre per year				
	(i) Upto 30000 Kilo Litre-		35,00,000/- (one Year)	04-01-2020	
	(ii) more than 30 000 and upto 50000 Kilo litre		40,00,000/- (one Year)		
	(iii) more than 50000 and upto 75000 Kilo litre		55,00,000/- (one Year)		
	(iv) more than 75000 Kilo litre		65,00,000/- (one Year)		
	(C) Bottling Plant to bottle IMFL/Country Liquour				
	(i) IMFL Bottling		10,00,000/- (one Year)	04-01-2020	
	(ii) Country Liquor Bottling		3,50,000/- (one Year)	04-01-2020	
	(iii) Wine		40,000/- (one Year)	04-01-2020	
(d) Heritage Manufactory	Rajasthan Excise Rules, 1956	8,00,000 (one Year)	04-01-2020		

		of Rule 68 (6-C) (d)			
	(e) Winery	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-C) (e)	80,000/- (one Year)	04-01-2020	
	in the existing "Note" appearing below serial number (6-C), at the end, the expression "This Note shall be applicable for year 2021-22 only." shall be added;				
11	Permission of addition/ alterations during a financial year in :	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-D)			
	(a) distillery/ Brewery		2,50,000/- (one Year)	04-01-2015	
	(b) Bottling plant		1,25,000/- (one Year)	04-01-2015	
	(c) Heritage Manufactory		25,000/- (one Year)	15-11-2016	
	(d) Winery		20,000/- (one Year)	15-11-2016	
12	Permission to Subletting plant	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-E)			
	(a) distillery/ Brewery		Equal to 25% (twenty five percent of annual licence fee) Per subletting agreement	04-01-2022	
	(b) Bottling plant		Equal to 25% (twenty five percent of annual licence fee) Per subletting agreement	04-01-2022	
13	Permission for manufacturing under franchise agreement fees	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-F)			
	(a) distillery/ Brewery		Equal to 25% (twenty five percent of annual licence fee) Per franchise agreement	04-01-2022	

	(b) Bottling plant		Equal to 25% (twenty five percent of annual licence fee) Per franchise agreement	04-01-2022	
14	Permission for testing facilities at Winery	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (6-G)	Rs. 10,000/-	04-01-2020	
12	Licence for manufacture and wholesale vend of rectified spirit absolute alcohol & denatured spirit,	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (7)	22500/- (Five Year)	31-03-1997	
13	Licence for sale by wholesale dealers of denatured spirit & denatured spirituous preparations .	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (8)	33850/- (Five Year)	31-03-1997	
14	Licence for the retail sale of denatured spirit and denatured spirituous preparations	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (9)	13500/- (Five Year)	31-03-1997	
15	Licence for the possession and use of denatured spirit for industrial purposes or manufacture of denatured spirituous preparations.	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (10)	25,000/- (One Year)	04-01-2015	
16	Licence for possession and use of specially denatured spirit for industrial purposes for manufacture of methylated preparations like Tincture Iodine, Methyl, Benjoin. Co- Methyl and the like	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (11)	1500/- (One Year)	31-03-1997	
17	Licence to Manufacture Country Liquor	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (12)	150000/- (One Year)	04-01-2015	
18	Licence for wholesale vend of Country liquor from bonded warehouses established at place of manufacture.	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (12-(a))	500000/- (One Year)	04-01-2011	
19	Licence for wholesale vend by manufactureres of Indian Made foreign liquor/Beer to wholesale	Rajasthan Excise Rules, 1956	800000/- (One Year)	04-01-2017	

	vendors	of Rule 68 (13)			
19	Licence for wholesale vend of Country liquor from bonded warehouses established at place other than the manufacturing unit	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (13-A)	2,50,000/- (One Year)	04-01-2015	
20	Licence for wholesale vend by manufactureres of wine for its own wholesale vend and other wholesale venders from bonded warehouse established at any place in Rajasthan.	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (13-B)	100000/- (One Year)	17/11-2017	
21	Licence for wholesale vend by manufactures of their aurtherised dealers of BIO for their own wholesale vend or other wholesale vendors and retail vendors	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 68 (13-C)			—
	1- Upto 10 Brands		600000/- (One Year)	1/4/2012 to Cont.	
	2- Above 10 Brands		10000/- Per brand		
exempt the Rajasthan State Beverages Corporation Limited (RSBCL) from payment of licence fee as specified at serial number 13C of the table of rule 68 of the Rajasthan Excise Rules, 1956 on the condition that, if the Rajasthan State Beverages Corporation Limited (RSBCL) pay an amountequivalent to the licence fee as specified at serial number 13 of the said table for the licence granted under sub-rule 4 of rule 47 of the Rajasthan Excise Rules,				04-01-2022	
24	Hotel Bar/Club Bar Licence Fees :-				
	1 Luxury Hotel/ Trains :-	Rajasthan Excise (Grant of Hotel bar/ Club Bar Licences) Rules 1973	Every application for a Hotel Bar/Club Bar licence shall be properly signed and shall be accompanied by the 10% of the following amount of initial licence fees:-		
	(i) Five Star Hotel	(3) sub Rule 3 (01-04-2022)	Basic licence fee Rs. 16.00 Lac	04-01-2022	
	(ii) Four Star Hotel		Basic licence fee Rs. 11.00 Lac	04-01-2022	
	(iii) Three Star Hotel		Basic licence fee Rs. 8.50 Lac	04-01-2022	
	(iv) Luxury Trains		Basic licence fee	04-01-2022	

			Rs. 8.50 Lac		
	2 Heritage Hotel :		Upto 10 Rooms	11 to 25 Rooms	More than 25 Rooms
	(i) urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Mount Abu, Jaisalmer and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort.		2.00 Lac	3.50 Lac	4.00 Lac
	(ii) urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT and five kilometres periphery limit of Ranakpur Temple and Ranthambhor National park; and		1.00 Lac	2.50 Lac	3.50 Lac
	(iii) Other areas not covered in above (i) and (ii)		0.50 Lac	1.25 Lac	1.75 Lac
	3 Other Hotel :		Upto 50 Rooms	51 to 100 Rooms	More than 100 Rooms
	Situated in and within (i) urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur	Rajasthan Excise (Grant of Hotel bar/ Club Bar Licences) Rules 1973 (3) (01-04- 2022)	8.00 Lac	10.00 Lac	15.00 Lac
	(ii) urbanisable limit of Mount Abu, Jaisalmer and limit up to 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort		6.00 Lac	10.00 Lac	15.00 Lac
	(iii) urbanisable limit of other Divisional/ District Headquarters, Bhiwadi UIT and five kilometres periphery limit of Ranakpur temple and Ranthambhor National park: and		5.00 Lac	7.50 Lac	9.50 Lac
	(iv) Other areas not covered under clause (i) to (iii) above.		3.00 Lac	3.50 Lac	4.00 Lac
	4 Civil Club Bar :				
	(i) In Jaipur, Jodhpur & Udaipur		Rs.2.00 Lac	04-01-2022	
	(ii) In Other places		Rs.1.50 Lac	04-01-2022	
Fee for Civil Club Bar related to Government servant or news media persons shall be 50% of fee specified under clause (i) or (ii) above, as the case may be.					
	5 Commercial Club Bar :				
	(i) In Jaipur, Jodhpur & Udaipur	Rajasthan Excise (Grant of Hotel bar/ Club Bar Licences) Rules 1973	Rs.6.00 Lac	04-01-2022	
	(ii) In Other places		Rs.4.00 Lac	04-01-2022	

		(3) Date 01-04-2022			
The licensee of Hotel Bar/Club Bar shall deposit the remaining 90% of initial licence fee within seven working days from the date of issue of Hotel Bar/Club Bar Licence.					
Explanation: The counting of rooms for Heritage Hotel category includes the number of newly constructed rooms and old traditional rooms					
	Swiss Tents Bar Licence.-	Rajasthan Excise (Grant of Hotel bar/ Club Bar Licences) Rules 1973 New rule 3-C Date 01-04-2022	Notwithstanding anything contained in these rules Hotel Bar Licence may also be granted by the Excise Commissioner in Form C to any establishment having at least ten units of swiss tents like temporary structure having the permission of the local body or having licence granted by the competent authority under the Food Safety and Standards Act, 2006 and having GSTN registration, for the period of one year on payment of 75% of fee specified under rule 3 of these rules. The licence may also be granted for the period of not less than six months or upto the end of the financial year whichever is earlier on payment of 50% of fee specified under rule 3 of these rules. The licence granted under this rule may be extended for remaining period of the financial year on payment of 25% of fee specified in rule 3 in these rules."		
25	Restaurant Bar Licences fees ; Restaurant situated in and within urbanisable limit of	Rajasthan Excise (Grant of Restaurant b Bar Licences) Rules 2004 (3) Date 01-04-2022	Every application for a Restaurant Bar licence shall be accompanied by process fee of Rs. 5000/- and amount of 10% of the following amount of initial fee:-		
	(a) Jaipur Headquarter		Rs.8.00 Lac	04-01-2022	
	(b) Jodhpur Headquarter		Rs.7.00 Lac	04-01-2022	
	(c) Other divisional headquarters, District Headquarters, Mount Abu and other Municipalities, Bhiwadi UIT and limit upto 10 Kilometer periphery of Kumbhalgarh fort		Rs 5.00 Lac	04-01-2022	
	other restaurants not covered in (a), (b) & to (c) above		Rs.3.00 Lac	04-01-2022	
The Licensee of Restaurant Bar shall deposit the remaining 90% of initial fee within seven working days from the date of issue of Restaurant Bar licence,"					
26	Whole sale Licence fee for "(A) For a brand of imported foreign liquor having basic price including import fee and any other fee payable per carton of Quarts, Pints, Nips or other packing size as declared by supplier/ manufacturers -	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (1)			

	(a) upto Rs.3100/-		75% ad- valorem	04-01-2022	
	(b) above Rs. 3100/-but upto Rs 6000/-		70% ad- valorem		
	(c) above Rs. 6000/-but upto Rs 8000/-		55% ad- valorem		
	(d) above Rs. 8000/-but upto Rs 50000/-		45% ad- valorem		
	(e) above Rs. 50000/-		40% ad- valorem		
	(B) Wine/RTD		40% ad- Valorem	04-01-2016	
	(C) Imported Beer		156% ad- Valorem	04-01-2016	
	Retail licence				
	(a)Foreign Liquor		NIL	26/4/2022	
	(b) Beer		Rs.14 per Bulk Liter	26/4/2022	
27	(a) The fee for a licence to bottle country liquor, foreign liquor and beer shall be ;	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (2) (a)			
	(i) country Liquor & ENA 25 UP Rajasthan Made Liquor :-				
	Self brand Manufacturing		Rs. 5.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	bottling under franchise arrangements		Rs. 5.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	(ii) IMFL :-				
	Self brand Manufacturing		Rs. 4.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	bottling under franchise arrangements		Rs. 4.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	(iii) Beer :-				
	Self brand Manufacturing		Rs.3.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	bottling under franchise arrangements		Rs.3.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	(iv)Droutht Beer :-				
	Self brand Manufacturing		Rs.1.00 Per Bulk Litre	04-09-2019	
	bottling under franchise arrangements		Rs.2.00 Per Bulk Litre	04-09-2019	
	Provided that following discount shall be allowed as under on production of beer against installed capacity and beer supplied to Rajasthan State Beverages Corporation Ltd. for sale in Rajasthan, namely				
	Production against installed capacity		Discount in bottling fee per Bulk litre	26-04-2022	
	(a) upto 70%		NIL		

	(b) above 70% but upto 80%		Rs. 1.00/-		
	(c) Above 80%		Rs. 2.00/-		
29	Every manufacturer of Country liquor, Indian Made foreign liquor, Beer, wine, RTD and BIO (Bottled in origin) shall have to get his brand Registered and Labels approved fee	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (3)			
	1- Country Liquor & ENA 25 UP Rajasthan Made Liquor		CL & RML 3 Year Brand registration fee Rs. 1,75,000/- Per Brand & 3 Year Label approval fee per Packing size Rs. 1,10,000/-	04-01-2020	
			CL & RML Brand registration fee Rs.50000/- per year Label approval fee per packing size Rs. 25000/-per year	04-01-2015	
	2- Indian made foreign liquor, Beer, RTD		3 Year Brand registration fee Rs. 1,75,000/- Per Brand & 3 Year Label approval fee per Packing size Rs. 1,75,000/-	04-01-2020	
			Brand registration fee Rs.50000/- per year Label approval fee per packing		

			size Rs. 50000/-per year		
	3-wine made in India		Brand registration fee Rs.25,000/- per year Label approval fee per packing size Rs. 25000/-per year	04-01-2015	
	4- BIO (Foreign liquor/Beer/ wine)		Brand registration fee Rs.0.00/- per year Label approval fee per packing size Rs. 25000/-per year	04-01-2020	
	5- BIO (RTD)		Brand registration fee Rs.0.00/- per year Label approval fee per packing size Rs. 30,000/-per year	04-01-2015	
	6-Every manufacturer of Indian Made foreign liquor Beer, CL,RML,RTD & Wine his brand Other State export shall have to get Labels approved fee		Label approval fee per packing size Rs. 25,000/-per year	04-01-2020	
	"Note: If the brand/label is registered for five or ten years and feeshall be paid at a time, calculated on the basis of yearly fee mentioned in column 3 or 4, as the case may be, 20% or 40% of fee payable respectively shall be exempted.";				
30	Changes Mono Carton fee in IMFL	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (3-A)	every approval fee Rs. 25000/-	04-01-2020	

31	"(3-B) Label registration fees shall not be payable again during the period, if approved label is changed due to compliance of statutory provisions	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (3-B)		04-01-2022	
32	(3-BB) In case of supply from more than one production unit of the same brand the Brand Registration Fees would be payable only once but the Label Registration Fees shall have to be paid separately.”;	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (3-BB)		04-01-2022	
31	Whole sale Licence granted to Canteen Stores Department a privilege fee (licences under Rule 47(1)(b))	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (4)	Rs. 30.00 Lac per year	09-10-2007	
32	Armed forces/Border Security Force Personnel/ Indo Tibetan Border Police (ITBP) Personnel of India stationed in Rajasthan for holding retail off licence	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (5)	Rs. 2500/- per year		
33	Special Vend fee -(Retail on/Retail off/ Composite Retail off)	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (6)			
	(i) IMFL		10.00 Per Bulk Litre	04-01-2011	
	(ii) Beer		5.00 Per Bulk Litre	04-01-2011	
34	The Basic Licence Fee for licence for sale of Country Liquor and Rajasthan Made Liquor (RML)	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (6A)			
	1 Country Liquor		46.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	2 Rajasthan Made Liquor (RML)		80.00 Per Bulk Litre	04-01-2022	
	Provided that if any licensee fails to sale quantity of guaranteed amount of Country Liquor and Rajasthan Made Liquor (RML) such licensee shall have to pay basic license fee payable on quantity of guaranteed amount of Country Liquor and Rajasthan Made Liquor (RML)."				
35	Annual licence fees for Retail off Composite shops shall be as follows:-	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (7)			
	Licence of Retail off composite Shops		5% of Annual Guarantee Amount	04-01-2022	
36	Annual licence fees of Retail off Model Shop shall be as follows	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69	Annual Licence Fee (in Lac)	04-01-2022	

	1 Jaipur City	(8)	26.00		
	2-Jodhpur & Udaipur City		20.00		
	3- Other City		15.00		
	Note: 50% of the amount received in excess of the annual licence fee specified above by the Rajasthan State Beverages Corporation Ltd. in auction shall be treated as part of the annual licence fees and same shall be deposited by the Rajasthan State Beverages Corporation Ltd, in excise head.				
37	Annual licence fees of Retail off Airport Shop shall be as follows	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (9)	Annual Licence Fee (in Lac)	04-01-2022	
	1-Jaipur		20.00		
	2-Other Cities		10.00		
38	Annual licence fees for Retail off Composite RTDC shops shall be as follows	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69 (10)	Annual Licence Fee	04-01-2022	
	Licence of Retail off RTDC Shops		5% of the sum of Excise Duty and additional Excise duty of the liquor and beer lifted by the RTDC shop		
36	Fees for certain permits	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69-B	Fee per Bulk Litre/per Kilogram for (in Rs.)		
			[Bringing] into	[Sending] outside	Transport within State
	1	2	3	4	5
	1-Absolute Alcohol, Mentholated Alcohol, and preparations of Denatured Sprit		Rs. 6.00 (24-03-2005)	Rs. 10.00 (24-03-2005)	Rs. 4.00 (24-03-2005)
	2-Denatured Spirit		Rs. 6.00 (24-03-2005)	Rs. 2.00 (27-02-2009)	Rs. 4.00 (24-03-2005)
	3-Rectified Spirit for manufacture of Country Liquor		Rs. 3.00 (1-4-2017) (including RSGSM) 20-05-2019 Rs. 5.00 (1-4-2020) (including RSGSM)	Rs. 2.00 (1-4-2017)	Rs. 0.00 (1-4-2017)
	4-extra natural alcohol high bouquet spirit and like Spirits/ alcohols for liquor manufacture		Rs. 5.00 (1-4-2017) Rs. 7.00 (1-4-2020)	Rs. 2.00 (1-4-2017) Rs. 4.00 (1-4-2020)	Rs. 0.00 (1-4-2017)

	5-Rectified Spirit for other purposes		Rs. 15.00 (01-04-2017)	Rs. 2.00 (01-04-2017)	Rs. 2.50 (01-04-2017) Rs. 5.00 (01-04-2020)
	6-extra natural alcohol high bouquet spirit and like Spirits/ alcohols for other purposes		Rs. 6.00 (01-04-2017)	Rs. 2.00 (01-04-2017) Rs.4.00 (01-04-2020)	Rs. 2.50 (01-04-2017) Rs. 5.00 (01-04-2020)
(ii) in clause (C) of proviso, for the existing expression "Rs. 1/-per bulk litre for the transportation of country liquor from the depot of RSGSM to his/her retail vend place, the expression 'Rs. 1/- per bulk litre for the transportation of country liquor including Rajasthan Made liquor from the Depot of RSGSM to his/her retail vend place" shll be substituted.					
7- Foreign Liquor (Excluding Beer)					
	(A) Bottled		Rs. 5.00 (01-04-2005)	Rs. 2.00 (01-04-2012)	Rs. 4.00 (01-04-2005)
	(b) Bulk		Rs. 3.00 (12-04-2006)	Rs. 500/- Per Permit	Rs.0.00
	8- Beer		Rs. 2.00 (01-07-2019)	Rs. 1.50 (01-04-2012)	Rs. 4.00 (01-04-2012)
	9.Country Liquor		Rs. 0.00 (01-04-2012)	Rs. 500 Each permit (01-04-2012)	Rs. 1/-Per Bulk Litre permit fee (01-04-2019)
	9-A Country Liquor including Rajasthan made liquor (RML) for permit"Manufacturer froml his/her unit to RSGSM		Rs. 0.00 (01-04-2021)	Rs. 0.00 (01-04-2021)	R.S. 1000/- Per Permit (01-04-2021)
	10-Bhang		Rs. 10.00 (01-04-2012)	Rs. 0.00 (01-04-2012)	Rs.5.00 (01-04-2012)
	11-Heritage Liquor		Rs. 0.00 (01-04-2012)	Rs. 10.00 (01-04-2012)	Rs. 4.00 (01-04-2012)
	13- Mollasses (per Qtl)		Rs. 1.50 (01-04-2012)	Rs. 500 Each permit (01-04-2012)	Rs. 100 Each permit (01-04-2012)
Explanation :- Fee mentioned against (S.No. 4 to 9) below column No. 5 above shall be charged at the stage when retailer purchases goods and same shall be paid by the retailer/Purchaser.					
37	Stock Transfer fee	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 69-D			

	1 IMFL/Beer		Rs. 4.00 Per bulk litre (01-04-1999)		
	2- Country Liquor		Rs. 5.00 Per bulk litre (01-04-1999)		
	3-Bhang		Rs. 5.00 Per Kg (01-04-1999)		
	4-Basic Quota EPA Transfer Fee		Rs. 10.00 per bulk litre (01-04-2020)		
38	Licence to work for units and such unit are not in working for last 3 or more years are given 75% exemption for renewal fee and are given 100% exemption for interest on fees dues, vend fee and penalty, for the period of such not in working since their last payment of fees prescribed under 72-A	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 72-A		04-01-2020	
39	Transfer of Licence Fee	Rajasthan Excise Rules, 1956 of Rule 72-B	50% of Licence Annual fee		
40	Excise Duty				
	(i) Indian Made Foreign Liquor/Spirit (including Heritage Liquor) having price including the amount of export fee and any other fee excluding the amount of Central sales Tax (CST) payable per Carton of quart, pints, nips of other size as declared by manufacturers and as accepted by RSBCL	Rajasthan Excise Act 1950 Chapter-V-(28)			
	(a) up to Rs. 770		Rs. 274 Per LPL	04-01-2022	
	(b) above Rs. 770/-but upto Rs. 1000/-per		Rs. 280 Per LPL		
	(c) above Rs. 1000/-but upto Rs. 1250/-per		Rs. 310 Per LPL		
	(d) above Rs. 1250/-but upto Rs. 1450/-per		Rs. 311 Per LPL		
	(e) above Rs. 1450/-but upto Rs.2000/-per		Rs. 315 Per LPL		
	(f) above Rs.2000/-but upto Rs.5000/-per		Rs. 330 Per LPL		
	(g) above Rs.5000/-but upto		Rs. 370 Per		

	Rs.8000/-per		LPL		
	(h) above Rs. 8000/-but upto Rs.10000/-per		Rs. 371 Per LPL		
	(j) above Rs.10000/- per		Rs. 372 Per LPL		
	(i-a) Bottlend in India (BII) having price including the amount of export fee and any other fee, excluding the amount of Central sales Tax (CST) payable per Carton of quart, pints, nips of other size as declared by manufacturers and as accepted by RSBCL	Rajasthan Excise Act 1950 Chapter-V-(28)	New Clause	04-01-2022	
	(a) up to Rs. 6000		Rs. 335 Per LPL		
	(b) above Rs. 6000/-but upto Rs. 8000/-per		Rs. 340 Per LPL		
	(c) above Rs. 8000/-but upto Rs. 10000/-per		Rs. 345 Per LPL		
	(d) above Rs. 10000/- per		Rs. 450 Per LPL		
	(ii) Indian Made Rum for Defence Service- EX- Military personnel, BSF & ITBP in Rajasthan		Rs. 50/- Per LPL		
	(iii) Beer-Ex-brewery price including export fee but excluding CST and any other amount as accepted by the RSBCL		156% ad-Valorem		
	(iii-A) Additional Excise Duty on (Percentage of a sum of ex-manufacturing unit price, Export fee & Excise Duty and Actual cost (excluding CST) reimbursed by RSBCL to the manufacturer.				
	(A) IMFL				
	(a) for categories specified in clause (a) of serial number (i) under head 1 Excise Duty		28.00%	04-01-2022	
	(b) for categories specified in clause (b) of serial number (i) under head 1 Excise Duty		29.00%		
	(c) for categories specified in clause (c) of serial number (i) under head 1 Excise Duty		36.00%		
	(d) for categories specified in clause (d) of serial number (i) under head 1 Excise Duty		40.00%		
	(e) for categories specified in clause (e) of serial number (i) under head 1 Excise Duty		41.00%		
	(f) for categories specified in clause (f) to (i) of serial number (i) under		49.00%		

head 1 Excise Duty				
Note : This levy shall not be applicable for heritage liquor.				
(B) Beer				
(i) Strong Beer (above 5% strength)				
(a) for having Ex-brewery Price (EBP) upto Rs. 290 Per Case		31.00%	04-01-2022	
(b) for having Ex-brewery Price (EBP) above Rs. 290 Per Case		23.00%		
(ii) Mild Beer (upto 5% strength)				
(a) for having Ex-brewery Price (EBP) upto Rs. 400 Per Case		12.00%		
(b) for having Ex-brewery Price (EBP) above Rs. 400 Per Case		11.00%		
(C) Bottled in India (BII)			04-01-2022	
(a) for categories specified in clause (a) of serial number (i-a) under head 1 Excise Duty		60.00%		
(b) for categories specified in clause (b) of serial number (i-a) under head 1 Excise Duty		56.00%		
(c) for categories specified in clause (c) of serial number (i-a) under head 1 Excise Duty		48.00%		
(d) for categories specified in clause (d) of serial number (i-a) under head 1 Excise Duty		48.00%		
(D) Wine/RTD (Imported from outside of the State and Manufactured in windries situated in the State)		30.00%	04-01-2022	
Note : This levy shall not be applicable to supplies meant for CSD/Defence Service Personnel.				
(v) Excise surcharge on following articles from following retail licensees for Defence service Personnel/CSD				
(a) IMFL		Rs. 15/- per BL	04-04-2007	
(b) Beer		Rs.3/- per BL	04-04-2007	
(vi) Country Liquor		185/- Per LPL	04-01-2022	
(ix) ENA 25 UP Rajasthan Made Liquor		200/- Per LPL	04-01-2022	

	(vii) Wine of RTD (Imported from outside of the State)		40% ad-Valorem of Ex-Winery price/Ex-Distillery Price as accepted by RSBCL	17/11/2017	
	(viii) Wine of RTD (Manufactured in Wineries situated in the state)	Rajasthan Excise Act 1950 Chapter-V-(28)	4% ad-Valorem of Ex-Winery price/Ex-Distillery Price as accepted by RSBCL	17/11/2017	
	Basic licence fee CL & RML 25 UP ENA	Rajasthan Excise			
	1. Country Liquor	Rules, 1956 Rule 69 (6-A)	Rs. 46.00 per bulk litre	04-01-2022	
	2. Indian Made Liquor 25 UP ENA		Rs.80.00 Per bulk litre	04-01-2022	
	hereby exempts, the licensees of composite shops who lifted the CountryLiquor and Rajasthan Made Liquor in excess of the Country Liquor andRajasthan Made Liquor of his quarterly guaranteed amount during the year2022-2023 and 2023-2024 and against whom no dues are pending, frompayment of twenty five percent of basic licence fee payable on such excesslifted quantity of Country Liquor and Rajasthan Made Liquor but suchexemption shall not be allowed on Country Liquor and Rajasthan Made Liquorlifted against the amount of annual licence fees.				
41	Limit of Sale by retail	Rajasthan Excise Act 1950 Chapter-I-(5)	Country Liquor	3 Litres	21-08-2014
			IMFL/BIO	9 Litres	
			Beer	12 Litres	
			Wine	12 Litres	
			Bhang	100 Gm	
42	(1) Country Liquor Issue Price RS Based	Rules 1997 (2) Notification date 25-02-2022 & 11-05-2022	750 ML per Cartoon	180 ML per Cartoon	375 ML per Cartoon
	a- 40 UP R.S. Based (Glass)		530.00	550.00	
	b- 40 UP R.S. Based (Pet)		465.00	500.00	
	c-40 UP R.S. Based (Aseptic brick pack)		-	550.00	
	d-50 UP R.S. Based (Pet)		430.00	465.00	
	e-50 UP R.S. Based (Aseptic brick pack)		-	480.00	
	f-60 UP R.S. Based (Pet)			330.00	

	g-60 UP R.S. Based (Aseptic brick pack)			330.00	
	(2) ENA Besed Rajasthan Made Liquor (RML)				
	a-RML (Glass)		650.00	670.00	
	b-RML(Aseptic brick pack)		-	660.00	
	(3) kesar Kasturi 5 UP		3180.00	4220.00	
	(4) kesar Kasturi 5 UP (Gift Pack)		-	1400.00	
43	(1) Country Liquor Sale Price (MSP & MRP)	Rules 1997 (3) Notification date 31-10-2020			
		750 ML(Per Quate)		180 ML(Per Quate & Aseptic)	
		MSP	MRP	MSP	MRP
	a- 40 UP R.S. Based (Glass)	204.00	245.00	50.00	60.00
	b- 40 UP R.S. Based (Pet)	197.00	236.00	49.00	58.00
	c-40 UP R.S. Based (Aseptic brick pack)	-	-	50.00	60.00
	d-50 UP R.S. Based (Pet)	174.00	209.00	43.00	52.00
	(2)ENA Besed Rajasthan Made Liquor (RML) Sale Price (MSP & MRP)				
	a-RML (Glass)	289.00	347.00	64.00	71.00
	b-RML(Aseptic brick pack)	-	-	63.00	76.00
	(3) kesar Kasturi 5 UP Sale Price (MSP & MRP)	464.00	579.00	118.00	148.00
	42	(1) Country Liquor Issue Price ENA Based	Rules 1997 (2) Notification date 01-04-2022	180 ML EDP per Case	
a- 40 UP ENA. Based (Glass)			565.00		
b- 40 UP ENA. Based (Pet)			515.00		
d-50 UP ENA. Based (Pet)			478.00		
43	(2)Country Liquor ENA Based Sale Price (MSP & MRP)	Rules 1997 (3) Notification date 01-04-2022	180 ML EDP per Case		
			MSP	MRP	
	a- 40 UP ENA. Based (Glass)		50.00	61.00	
	b- 40 UP ENA. Based (Pet)		49.00	59.00	
	d-50 UP ENA. Based (Pet)		44.00	52.00	

XIV विभाग की इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना :-

विभाग की अधिकांश सूचना विभाग की <https://excise.rajasthan.gov.in> पर आमजन के सूचनार्थ उपलब्ध है जिसे अद्यतन (अपडेटेड) किया जाता है।

XV सूचना अभिप्राप्त करने हेतु नागरिकों को सुविधा :-

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(7) वित्त/आब./12 जयपुर, दिनांक 17.05.2012 के द्वारा समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारियों, सहायक आबकारी अधिकारियों, आबकारी निरोधक दल, आबकारी अधिकारियों, आबकारी निरोधक दल को **लोक सूचना अधिकारी** घोषित किये गये हैं। इससे नागरिकों को अपने निवास के समीप ही सूचनाएं सुगमता से प्राप्त हो सकेगी।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **विभाग के जोन व जिला स्तर के लोक सूचना अधिकारी कार्यालयों** द्वारा आवेदन स्वीकार किये जाते हैं। लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा, इन प्राप्त आवेदनों को अधिनियम में निर्दिष्ट प्रारूप वाले रजिस्टर में इन्द्राज कर नियमानुसार निर्धारित अवधि में आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।
3. **लोक/सहायक सूचना अधिकारियों** द्वारा, अपने कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदन के संदर्भ में, यह ध्यान रखा जाता है कि कि,
 1. आवेदक का नाम, पूर्ण डाक पता (मय फोन नम्बर) अंकित है।
 2. आवेदन में चाही गयी सूचनाओं का स्पष्ट विवरण, अंकित है।
 3. चाही गयी सूचनाओं का समय या समयावधि, अंकित है।
 4. आवेदन शुल्क की राशि रू. 10/-, संलग्न है।
 5. आवेदक के बी.पी.एल. की श्रेणी में होने पर, आवेदन में बी.पी.एल. क्रमांक अंकित किया हुआ है तथा इससे संबंधित प्रमाण भी आवेदक से प्राप्त किया जाता है।
4. **लोक सूचना अधिकारी (PIO)** के कार्यालयों से अग्रेषित आवेदनों का **सूचना के अधिकार अनुभाग, मुख्यालय** द्वारा संबंधित रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है एवं प्रत्येक आवेदन के संदर्भ में पृथक पत्रावली खोलकर, आवेदक द्वारा आवेदित सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देश जारी किये जाते हैं।
5. संबंधित लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा, प्राप्त निर्देशों की पालना करते हुए, अधिनियम में प्रावधित समयसीमा में (**अधिकतम 30 दिवस में**) आवेदक को सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती है। निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर, संबंधित लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा आवेदक को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
6. विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) द्वारा, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों में अपने अधीनस्थ अनुभाग/कार्यालय से जारी किये जाने वाले समस्त पत्रों में अपने पदनाम के साथ, पदेन लोक सूचना अधिकारी का अंकन किया जाता है।
7. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत **एक भारतीय नागरिक ही** विभाग के किसी भी कार्यालय द्वारा संधारित सूचना यथा, अभिलेख, दस्तावेज, मीमों, ई-मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, नमूने किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक्स सांख्यिकी सामग्री प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त का निरीक्षण कर सकता एवं उक्त में से चिन्हित कर प्रमाणित प्रतिलिपियां या सारांश भी प्राप्त कर सकता है।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो सूचना संबंधित कार्यालय में पहले से मौजूद है, वहीं उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदकों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना, विभाग द्वारा अपेक्षित नहीं होता है।
9. आवेदनकर्ता से आवेदन पत्र के साथ, सूचना मांगने का निर्धारित आवेदन शुल्क 10/- रुपये (दस रुपये) मांग पत्र अथवा बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में इस कार्यालय के लेखा अधिकारी के नाम से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता है।
10. सूचना प्रदान करने में आने वाली लागत के लिये, आवेदित सूचनाओं के प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में पृथक पृथक पृष्ठों की गणना कर, संबंधित लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा, आवेदक को सूचित किया जाता है। इस अतिरिक्त शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्न अनुसार है :-
 1. सृजित अथवा फोटोकापी किये हुए प्रत्येक पेज (ए-4 अथवा ए-3 आकार) कागज के लिये दो रुपये (2/- रुपये)
 2. बड़े आकार के कागज में कापी का वास्तविक प्रभारी अथवा लागत कीमत।
 3. नमूनों या मॉडलों के लिये वास्तविक लागत अथवा कीमत।
 4. अभिलेखों के निरीक्षण के लिये पहले घण्टे के लिये कोई शुल्क नहीं, और उसके प्रत्येक घण्टे या उसके खंड के लिये पांच रुपये (5/- रुपये)
 5. डिस्कट अथवा फ्लॉपी में सूचना प्रदान करने के लिये प्रत्येक डिस्कट या फ्लोपी पचास रुपये (50/- रुपये), मुद्रित रूप में दी गई सूचना के लिये, ऐसे प्रकाशन के लिये नियम मूल्य अथवा प्रकाशन के उद्धरणों की फोटोकापी के दो रुपये प्रति पृष्ठ।
11. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग में प्राप्त होने वाले आवेदनों, इनके निस्तारण एवं प्राप्त राजस्व की सूचना, मुख्यालय के सूचना के अधिकार अनुभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है तथा इसकी मोनिटरिंग की जाती है।

XVI लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15.06.2005 से कानून का रूप लेकर 12 अक्टूबर, 2005 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया जा चुका है जिसमें सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 5 (7) वित्त/आब/12 जयपुर, दिनांक 17.05.2012 के द्वारा विभाग के अधिनस्थ निम्नांकित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है :-

विभागीय स्तर पर :-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान उदयपुर कार्यालय से संबंधित प्रकरणों में आवेदक को उपलब्ध करवाई गई सूचना से आवेदक के सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील की जाने वाली अपील पर निर्णय लिये जाने हेतु।	शासन सचिव वित्त, (राजस्व) विभाग।
2.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उदयपुर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, (आबकारी निरोधक दल) उदयपुर	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
3.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
4.	जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, समस्त	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
5.	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
6.	सहायक आबकारी अधिकारी (आबकारी निरोधक दल) एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, समस्त।	आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर

आबकारी विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त लोक/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आबकारी विभाग के लोक सूचना (अपीलीय) प्राधिकारी, लोक एवं सहायक सूचना अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

**कार्यालय के दूरभाष संख्या एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आबकारी विभाग में अपीलीय प्राधिकारी एवं
नियुक्त लोकसूचना अधिकारियों की स्थिति (As On 21.11.2022)
विभाग- कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर**

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
1	श्री कुमार पाल गौतम I.A.S.	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	0294-2524911 0141-2744230	श्री कृष्णकान्त पाठक (आई.ए.एस.) शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर	0141-2227 711
2	श्री बालमुकुन्द असावा R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	लोक सूचना अधिकारी	0294-2523124	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
3	श्रीमति मन्जुबाला जैन R.Act.S.	वित्तीय सलाहकार	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2528397	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
4	डॉ० वृद्धि चन्द गर्ग R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति)	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2412274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
5	रिक्त	अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2524308	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
6	रिक्त	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
7	श्री धर्मेन्द्र दांदवानी	संयुक्त विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
8	श्री प्रदीप चौधरी	उप विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	0294-2414837	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
9	श्री श्वेता फगेड़ियां R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2412274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
10	श्री राकेश शर्मा R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2741087	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
11	श्री राकेश शर्मा R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	5644-225477	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
12	श्री रामचन्द्र R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650394	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
13	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2420008	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
14	श्री अजीत सिंह राजावत R.A.S.	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2530017	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
15	श्रीमति सुनीता डागा R.A.S.	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2364577	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
16	श्री प्रद्युमन सिंह	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जयपुर शहर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743221	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
17	श्री ज्ञानप्रकाश मीणा	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2742584	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
18	श्री महावीर कुमार राठौड़	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2630621	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
19	श्री दुर्गाशंकर मीणा R.A.S. (अतिरिक्त कार्यभार)	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2360102	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
20	श्री पोमाराम	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650326	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
21	श्री ज्ञानप्रकाश मीणा (अतिरिक्त कार्यभार)	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-232229	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
22	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2450222	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
23	श्री विजय जोशी	आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2411640	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
24	श्री मातादीन मीणा R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743196	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
25	श्री बाबूलाल जाट	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2744580	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
26	श्री अनिल कुमार जैन	जिला आबकारी अधिकारी, दौसा	लोक सूचना अधिकारी	01427-221180	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
27	श्री ओमप्रकाश सहारण R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	लोक सूचना अधिकारी	0144-2732400	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
28	श्री शिवसिंह	जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-225477	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
29	श्री परमानन्द पाटीदार (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर	लोक सूचना अधिकारी	05642-220763	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
30	श्री सुमेर सिंह मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, सीकर	लोक सूचना अधिकारी	01572-248650	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
31	श्री अमरजीत सिंह	जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू	लोक सूचना अधिकारी	01592-232904	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
32	श्रीमति तारामती वैष्णव R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2970364	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
33	श्री अनिल कुमार यादव	जिला आबकारी अधिकारी, टोंक	लोक सूचना अधिकारी	01432-246717	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
34	श्री मनोज बिस्सा	जिला आबकारी अधिकारी, नागौर	लोक सूचना अधिकारी	01582-240019	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
35	श्री लोकेश जोशी AEO	जिला आबकारी	लोक सूचना अधिकारी	01482-232718	आयुक्त, आबकारी विभाग,	0294-2524

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
		अधिकारी, भीलवाडा			राजस्थान, उदयपुर	911
36	श्री अन्जुम ताहिर सम्मा R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2555324	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
37	श्री सुदर्शन सिंह भाटी	जिला आबकारी अधिकारी, पाली	लोक सूचना अधिकारी	02932-256326	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
38	श्री योगेश श्रीवास्तव	जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही	लोक सूचना अधिकारी	02972-220709	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
39	श्री विनोद वैष्णव	जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर	लोक सूचना अधिकारी	02982-220427	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
40	डॉ० भवानी सिंह राठौड़	जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर	लोक सूचना अधिकारी	02992-251608	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
41	श्री सहदेव सिंह रतनू	जिला आबकारी अधिकारी, जालोर	लोक सूचना अधिकारी	02973-222543	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
42	श्री मोहन राम पूनियां	जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2200884	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
43	श्री नरेन्द्र कुमार थोरी R.A.S.	जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2470182	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
44	श्री संतोष कुमार AEO (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ	लोक सूचना अधिकारी	01552-222088	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
45	श्री संजीव पटावरी	जिला आबकारी अधिकारी, चुरू	लोक सूचना अधिकारी	01562-250307	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
46	श्री मुकेश कुमार कलाल R.A.S	जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2427360	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
47	श्री विवेकानन्द शर्मा	जिला आबकारी अधिकारी, राजसमंद	लोक सूचना अधिकारी	02952-221650	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
48	श्री मुकेश देवपुरा	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ	लोक सूचना अधिकारी	01472-241587	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
49	श्री प्रकाश चन्द्र रेगर	जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा	लोक सूचना अधिकारी	02962-250560	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
50	श्री देवेन्द्र दशोरा (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, झूगरपुर	लोक सूचना अधिकारी	02964-230009	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
51	श्री गौरवमणी जौहरी AEO (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ	लोक सूचना अधिकारी	01478-222330	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
52	श्री दुर्गा शंकर मीणा R.A.S	जिला आबकारी अधिकारी, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2365623	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
53	श्री भौरीलाल मीणा AEO (अतिरिक्त कार्यभार)	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	लोक सूचना अधिकारी	0747-2457249	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
54	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी	जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड	लोक सूचना अधिकारी	07432-232138	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
55	श्री तपेश चन्द्र जैन	जिला आबकारी अधिकारी, बारां	लोक सूचना अधिकारी	07453-231526	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
56	श्री रामरतन मीणा	जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर	लोक सूचना अधिकारी	07462-222008	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
57	श्री आदराम	जिला आबकारी अधिकारी, करौली	लोक सूचना अधिकारी	07464-220271	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
58	सुश्री करिश्मा कविया	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक	लोक सूचना अधिकारी	0141-2743221	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
		दल, जयपुर शहर				
59	श्री कैलाश चौधरी R.P.S	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जयपुर ग्रामीण	लोक सूचना अधिकारी	0141-2313289	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
60	श्री अजय कुमार R.P.S	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अलवर	लोक सूचना अधिकारी	0144-2372310	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
61	श्री अंकित कुमार अवस्थी	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, दौसा	लोक सूचना अधिकारी	01427-221901	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
62	श्री प्रवीण कुमार	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, झुन्झुनू	लोक सूचना अधिकारी	01592-238976	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
63	श्री रामसहाय जाट	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सीकर	लोक सूचना अधिकारी	01572-270476	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
64	श्री दिगम्बर सिंह डागुर	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, भरतपुर	लोक सूचना अधिकारी	05644-232229	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
65	श्री परमानन्द पाटीदार (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, धौलपुर	लोक सूचना अधिकारी	05642-240653	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
66	श्री महेशचन्द R.P.S	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, करौली	लोक सूचना अधिकारी	07464-251258	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
67	श्री रामरतन मीणा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सवाईमाधोपुर	लोक सूचना अधिकारी	07462-223636	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
68	श्री लखन व्यास	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर	लोक सूचना अधिकारी	0145-2631621	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
69	श्री कुलभूषण मिश्रा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, नागौर	लोक सूचना अधिकारी	01582-247118	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
70	श्री लोकेश जोशी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, भीलवाडा	लोक सूचना अधिकारी	01482-264075	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
71	श्री अनिल कुमार यादव (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, टोंक	लोक सूचना अधिकारी	01432-244899	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
72	श्री हुकमसिंह सोढा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोधपुर	लोक सूचना अधिकारी	0291-2650318	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
73	श्री योगेश श्रीवास्त (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, सिरोही	लोक सूचना अधिकारी	02972-222557	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
74	श्री सहदेव सिंह रतनू (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जालोर	लोक सूचना अधिकारी	02973-223098	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
75	श्री विकास कुमार बिटू	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, पाली	लोक सूचना अधिकारी	02932-257806	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
76	डॉ० भवानी सिंह राठौड़ (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जैसलमेर	लोक सूचना अधिकारी	02992-255354	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
77	श्री हुकमसिंह सोढा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बाडमेर	लोक सूचना अधिकारी	02982-222998	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
78	श्री नरेन्द्र कुमार थोरी R.A.S (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, श्रीगंगानगर	लोक सूचना अधिकारी	0154-2450222	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
79	श्री राकेश कुमार शर्मा	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चुरू	लोक सूचना अधिकारी	01562-251429	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
80	श्री मोहनराम पूनियां (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बीकानेर	लोक सूचना अधिकारी	0151-2530274	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
81	श्री संतोष पूनियां (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, हनुमानगढ़	लोक सूचना अधिकारी	01552-223507	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
82	श्री अजय कुमार जैन AEO	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	0294-2482121	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
83	श्री विजय जोशी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, राजसमंद	लोक सूचना अधिकारी	02952-220228	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पद	सूचना अधिकारी का पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद	दूरभाष नं. (कार्यालय)
1	3	4	5	6	7	8
84	श्री गौरवमणी जौहरी AEO (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, प्रतापगढ	लोक सूचना अधिकारी	01478-221320	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
85	श्री देवेन्द्र दशोरा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, डुंगरपुर	लोक सूचना अधिकारी	02966-230761	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
86	श्री महिपाल सिंह राणावत	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बांसवाडा	लोक सूचना अधिकारी	02962-247566	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
87	श्री धनेश प्रसाद खटीक AEO	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, चित्तौडगढ	लोक सूचना अधिकारी	01472-240749	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
88	श्री अतुल अग्ने R.P.S.	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, कोटा	लोक सूचना अधिकारी	0744-2364860	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
89	श्री भौरीलाल मीणा (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बुन्दी	लोक सूचना अधिकारी	0747-2457683	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
90	श्री रियाजुद्दीन उस्मानी (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, झालावाड	लोक सूचना अधिकारी	07432-233765	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911
91	श्री तपेश चन्द्र जैन (अतिरिक्त कार्यभार)	सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, बारां	लोक सूचना अधिकारी	07453-231183	आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर	0294-2524 911

XVII अन्य सूचना मुख्यालय :-

आबकारी विभाग का मुख्यालय {कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर} 2 आबकारी भवन, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर में स्थित है।

आबकारी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के नाम एवं उनके पते		
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पता
1	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	2, आबकारी भवन,, गुमानियावालां, पंचवटी उदयपुर
2	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन जयपुर	वित्त भवन, द्वितीय तल डी-ब्लॉक, ज्योति नगर, विधानसभा के पास, जयपुर
3	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन जोधपुर	आबकारी भवन, पुलिस चौकी के सामने, कचहरी परिसर, पावटा चौराहा, जोधपुर
4	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन अजमेर	आबकारी भवन, जयपुर रोड, अजमेर
5	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन बीकानेर	स्टेशन रोड, बीकानेर
6	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन कोटा	छत्रपुरा डी.सी.एम. रोड, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, कोटा
7	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन भरतपुर	किले के अन्दर, म्यूजियम के पास में, भरतपुर
8	जिला आबकारी अधिकारी, मुख्यालय	आबकारी भवन, पंचवटी, उदयपुर
9	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर	वित्त भवन, जनपथ रोड, जयपुर
10	जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण	वित्त भवन, द्वितीय तल डी-ब्लॉक, ज्योति नगर, विधानसभा के पास, जयपुर
11	जिला आबकारी अधिकारी, दौसा	जैन धर्मशाला के सामने, दौसा
12	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	आसन का भेवास नगर, अलवर
13	जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड	मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, विलेज श्यामपुर, तहसील बहरोड, अलवर।
14	जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर	म्युजियम के सामने, भरतपुर
15	जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर	थोक भण्डार क्रय विक्रय के पास, धौलपुर
16	जिला आबकारी अधिकारी, सीकर	गुडली बाई पास रोड, सीकर
17	जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन, जयपुर	वित्त भवन, द्वितीय तल डी ब्लॉक, ज्योति नगर, विधानसभा के पास, जयपुर
18	जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनूं	मण्डावर रोड, झुन्झुनूं
19	जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर	आबकारी भवन, जयपुर रोड, अजमेर
20	जिला आबकारी अधिकारी, टोंक	पुराना बस स्टेण्ड घंटाघर के पास, टोंक
21	जिला आबकारी अधिकारी, नागौर	जिला पुलिस अधीक्षक बंगले के पास, नागौर
22	जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाडा	कृषि उपज मण्डी के पीछे, भीलवाडा
23	जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर	आबकारी भवन, पुलिस चौकी के सामने, कचहरी परिसर, पावटा चौराहा, जोधपुर
24	जिला आबकारी अधिकारी, पाली	महाराजा उम्मेदसिंह मिल्स के सामने, पाली
25	जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही	सारणेश्वर मंदिर रोड, सिरोही
26	जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन, जोधपुर	आबकारी भवन, पुलिस चौकी के सामने, कचहरी परिसर, पावटा चौराहा, जोधपुर।

27	जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर	लक्ष्मीनगर, जानी भवन, बाडमेर
28	जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर	डिब्बापाडा, जैसलमेर
29	जिला आबकारी अधिकारी, जालोर	रेल्वे स्टेशन रोड, जालोर
30	जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर	स्टेशन रोड, बीकानेर
31	जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर	पुराना पावर हास रोड, श्री गंगानगर
32	जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ	पंचायत समिति के पास, हनुमानगढ टाउन
33	जिला आबकारी अधिकारी, चुरू	वार्ड संख्या 3, रेल्वे स्टेशन के सामने, चुरू
34	जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर	सरदारपुरा, उदयपुर
35	जिला आबकारी अधिकारी, डिस्टलरी, उदयपुर	उदयसागर रोड, उदयपुर
36	जिला आबकारी अधिकारी, राजसमन्द	कलालवाडी, राजसमन्द
37	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ	रेल्वे स्टेशन रोड, चित्तौडगढ
38	जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा	हाउसिंग बोर्ड माईक्रो टावर के पास, बांसवाडा
39	जिला आबकारी अधिकारी, बारां	चार मूर्ति चौराहा, बारां
40	जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी	नैनवां रोड, एस. पी. आफिस के पास, बून्दी
41	जिला आबकारी अधिकारी, डूंगरपुर	सदर थाने के पास, शिवाजी नगर, डूंगरपुर
42	जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड	कण्डिया गांव, खानपुर रोड, झालावाड
43	जिला आबकारी अधिकारी, करौली	डॉ. निशा सिंह पत्नी विजय सिंह जादोन का मकान गुलाब बाग, करौली
44	जिला आबकारी अधिकारी, कोटा	छत्रपुरा डी.सी.एम. रोड, आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, छत्रपुरा, कोटा
45	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ	आबकारी भवन सिन्धी कॉलोनी, नई आबादी प्रतापगढ
46	जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर	रेल्वे स्टेशन के सामने, सवाई माधोपुर

कार्यालयों के खुलने एवं बन्द होने का समय :-

राज्य सरकार के आदेशानुसार आबकारी विभाग के कार्यालयों के खुलने का समय प्रातः 09.30 बजे एवं बन्द होने का समय सांय 6.00 बजे है।

शिकायतों/भ्रष्टाचार की सूचना :-

किसी भी राजकीय कार्मिक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने पर इस कार्यालय के मुख्य सर्तकता अधिकारी (अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) को अथवा विभाग के संबंधित अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन अथवा जिला आबकारी अधिकारी को दूरभाष पर अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत की जा सकती है।